आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

सहयोग राशि
30/-₹

अप्रैल 2022

क्रान्ति

मासिक



नारी स्वतंत्रता और न्याय का प्रश्न


اللہ کے رسولؐ نے ارشاد فرمایا۔
میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لئے بھیجا گیا ہوں
(مؤطہ اِمام مالک:705)
With Best Compliment from
sagar
SAGAR FEEDS & FOODS
PROCESSING INDUSTRIES
Plot No. L-21, Gidc Concolim Industrial Estate
Concolim-403703 GOA
Email: sagarffpi@gmail.com

www.kanti.in

संपादक
शिब्ली अरसलान
editorkantimasik@gmail.com

प्रबंधक
नईम ख़ान
+91 9891160829

सहयोग राशि
एक प्रति 30/- रु॰ एक वर्ष 350/- रु॰
दो वर्ष 670/- रु॰ तीन वर्ष 950/- रु॰
चार वर्ष 1200/- रु॰ पांच वर्ष 1400/- रु॰
आजीवन रु॰ 4000/-
सऊदी अरब और खाड़ी के देशों के लिए 110/- रियाल
यूरोप व अमेरिका के लिए 40/- US डॉलर

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए सम्पर्क करें :

कार्यालय :
कान्ति मासिक, डी-314, दावत नगर,
अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर,
ओखला, नई दिल्ली-110025

हेल्पलाइन न॰
+91 8920589292

Account Detail
NAME : KANTI
A/C NO : 0990839195
IFS CODE : IDIB000J029
TYPE : CURRENT
BANK : INDIAN BANK
BRANCH : JAMIA MILLIA ISLAMIA
NEW DELHI - 110025

चेक / ड्राफ्ट 'कान्ति' के नाम से बनवाएं

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), डी-314 दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट प्रेस, 2035, क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली - 110006 से मुद्रित।
फ़ोन: 9818799223
संपादक: शिब्ली अरसलान

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

वर्ष 31 अंक 10 अप्रैल 2022

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब



कान्ति
मासिक

इस अंक में

मूल प्रश्न 04
ईश्वर से अगाध प्रेम का वसंत उत्सव
शिब्ली अरसलान

चिंतन 07
कथ्य, तथ्य और सत्य
प्रो॰ सैयद शाहिद अली

सौंदर्य बोध 10
ताकि हर शब्द दिल में बैठ जाए
एस॰ अमीनुल हसन

मुख्य स्तंभ 15
नारी स्वतंत्रता और न्याय का प्रश्न
सुफ़ियान अहमद

दृष्टिकोण 18
इस रुझान का क्या है कारण?
उम्मे हस्सान

निष्कर्ष 20
गरिमा के साथ अधिकार प्राप्त करें महिलाएं
रहमतुन्निसा

अभिमत 23
महिला सशक्तीकरण के नाम पर...
गरिमा सिंह

समाधान 25
सशक्त महिला का सही अर्थ
मक़बूल अहमद फ़लाही

समसामयिक 28
हिजाब पर आपत्तियां : एक विश्लेषण
डॉ॰ मुहम्मद रज़ीउल इस्लाम नदवी

प्रेरणा 31
रोज़े और उसके उद्देश्य
सैयद अबुल आला मौदूदी

कविता 34
दुनिया में रौनक़ तुम से है
अल्ताफ़ हुसैन हाली

करियर 35
समाज सेवा के साथ बनाएं भविष्य
संपादन प्रभाग

सेहत 37
नज़रअंदाज़ न करें पथरी के लक्षणों को
संपादन प्रभाग

कहानी 39
ख़ुदा की मदद
यशपाल

क़ुरआन दर्शन 43
क़ुरआन के संदेशों को जानिए
नईम अलहिन्दी

लघुकथा 45
दिल के ख़रीदार

आख़िरी पन्ना 48
नैतिक दोष जिन्हें क़ुरआन दूर करना चाहता है
अमरपाल सिंह

मूल प्रश्न



ईश्वर से अगाध प्रेम का वसंत उत्सव

रमज़ान वास्तव में ख़ुदा से मुहब्बत का एक मस्ताना मौसम है। उसकी मुहब्बत में, उसके हुक्म पर घंटों भूखे-प्यासे रहना, उच्च चारित्रिक गुणों के साथ छोटी बारीक कमज़ोरियों पर भी कड़ी निगाह रखते हुए पूरे उनतीस-तीस दिन गुज़ारना, आत्मिक शांती और आध्यात्मिक सौंदर्य बोध की तस्कीन का कैसा सुहाना मौसम है ये।

रमज़ान का रोज़ा कोई नई इबादत नहीं है। इन्सानों के लिए काफ़ी जानी पहचानी इबादत है ये। क़ुरआन कहता है 'ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर भी रोज़े अनिवार्य किए गये, जिस प्रकार तुम से पहले के लोगों पर अनिवार्य किए गये थे ताकि तुममें तक़वा (ईशपरायणता) पैदा हो। ''यही वजह है कि हम रोज़े की अलग अलग शक्लें सारे ही धार्मिक समूहों में देखते हैं।''

आख़िर रमज़ान के रोज़ों के अनिवार्य किये जाने का उद्देश्य क्या है?इन रोज़ों में रखा क्या है जो धार्मिकता का अनिवार्य हिस्सा ठहरा? 'रुक जाना और छोड़ देना' रोज़े की रुह है। जाएज़ ज़रुरतों और ख़ाहिशों से रुक जाने की ये वन मंथ ट्रैनिंग बाक़ी दिनों में हमें ज़रुरी और ग़ैर ज़रुरी कामों की समझ तथा नाजाएज़ ख़ाहिशों से रुकने व छोड़ने का हौसला देती है। यही समझ और हौसला धार्मिकता का वास्तविक अर्थ है।

आप कह सकते हैं कि किसी तरह चंद घंटे भूख-प्यास बर्दाश्त कर लेना कोइ बड़ी बात नहीं है, क्या महज़ इसके अभ्यास के लिए रमज़ान आता है? नहीं, भूखे-प्यासे रहते हुए हम उन निगेटिव जज़्बों को कितना लगाम दे पाते हैं, जो एक ज़िम्मेदार संवेदनशील इन्सान बनने की राह में रुकावट हैं, इस अभ्यास का नाम है रमज़ान। ये लक्ष्य है रोज़ों का। रोज़ों का मक़सद क़ुरआन के अनुसार 'तक़वा अर्थात ईशपरायणता पैदा करना है'। जिसके अंदर तक़वा की ख़ूबी पैदा हो जाए, वो है मुत्तक़ी। इसलिए भूखे रहते हुए शऊर (चेतना) को बेदार रखना बहुत ज़रूरी है, बेहिस भूखे-प्यासे पड़े रहने और समय-गुज़ारी से कुछ हाथ नहीं आने वाला, तभी तो रसूलूल्लाह



शिब्ली अरसलान



(सल्ल.) ने फ़रमाया 'जिसने झूट बोलना और झूट पर अमल करना नहीं छोड़ा, अल्लाह को उसके भूखे-प्यासे रहने से कोइ मतलब नहीं'। जब हम भूखे-प्यासे होते हैं तो हमारी रचनात्मकता और संवेदनशीलता बढ़ जाती है, बस थोड़े ध्यान के साथ सतत् अभ्यास करने से हम आसानी से रमज़ान का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं।

रमज़ान का बहुत सीधा संदेश है- भौतिकता से थोड़ी दूरी। खाना-पीना और जाएज़ ज़रूरी चाहतों को एक तयशुदा वक़्त तक छोड़ने का मेसेज यही है कि जीवन में सब कुछ पाना और भरना नहीं होता, रुकना और त्याग ज़िन्दगी की बड़ी ख़ूबसूरती है। आज जबकि हम पूंजीवादी तरक़्क़ी की गला-काट प्रतिस्पर्धा में ऐसी आपाधापी मचा रहे कि जीवन का दार्शनिक-आध्यात्मिक सौन्दर्य धूमिल हो गया है, ख़ाहिशों को सपने का नाम देकर,उसे हर क़ीमत पर हासिल करने की दौड़ इस युग की पहचान है, इसने ज़िन्दगी को अत्यंत कुरुप और बदनुमा बना दिया है, ऐसे में 'रुक जाने और त्याग करने' का भाव कितना सुन्दर और माधुर्य भाव है।

रमज़ान आज की सबसे बड़ी आफत 'सर्वसमेटु नवपूंजीवादी ऊपभोक्तावाद' से लड़ने का कारगर हथियार उपलब्ध कराता है। मगर इसका क्या किया जाए कि रमज़ान में सेहरी व इफ़्तार और फिर आख़िरी दिनों में ईद के नाम पर जिस तरह शहरों और विशेष तौर पर बड़े शहरों के मुसलमान बाज़ार के छलावे में फंस कर उपभोक्तावाद की अंधी दौड़ में लग जाते हैं, इससे रमज़ान और रोज़ों की रूह ही निकल जाती है। वास्तव में रमज़ान मुस्लिम समाज के लिए आज एक महोत्सव बन कर रह गया है।

अंत में, रमज़ान, क़ुरआन का महीना भी है,इसी महीने में क़ुआरान नाज़िल हुआ ताकि तक़वा प्राप्त करना सरल हो जाए। मगर ये ध्यान में रहे कि क़ुरआन पढ़ने का जो रूप समाज में प्रचलित है,वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए किसी भी तरह उपयोगी नहीं है।

तिलवात करते समय ये ज़रूरी है कि क़ुरआन का एक एक शब्द अपने अर्थों द्वारा दिमाग को संबोधित करे, अनुवाद और व्याख्या की सहायता ली जाए। तब रमज़ान के माध्यम से हमारा व्यक्तित्व एक क्रांति से परिचित होगा।

■■

Bengal Footwear Co





39, Rabindra Sarani, Near Bank Of Baroda,
Chittaranjan Avenue, Kolkata - 700073
Phone: 033-22344220, 22216446, 9433012049

चिंतन



प्रो. सैयद शाहिद अली

कथ्य, तथ्य और सत्य



मौत एक ऐसी सच्चाई है, जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। इन्सान अपने क़रीबी, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को मौत के गाल में समाते हुए देखता है, लेकिन उन्हें मौत से बचा नहीं सकता। उसे यह ख़याल भी आता है कि एक दिन उसे भी मरना है और सदैव के लिए इस संसार से चले जाना है।

इन्सान के समाने कुछ प्रश्न ऐसे हैं, जिनका सही उत्तर मिलना अत्यंत आवश्यक है। जैसे-जीवन क्या है? इस जगत का स्रष्टा कौन है? हम से वह क्या चाहता है? मौत क्या है, मौत के पश्चात जीवन है या नहीं, अगर जीवन है, तो परलोक में सफल व कामयाब होने के लिए इस सांसारिक जीवन में क्या करना होगा? अगर जीवन नहीं है? तो क्या मौत के पश्चात जीवन समाप्त हो जाता है?

इन प्रश्नों पर दार्शनिकों और विद्वानों ने हमेशा ही चिंतन-मनन किया है। विशेष रूप से इस जीवन के बाद आने वाली मौत के बारे में तथा कुछ धर्मों में भी इसके बारे में प्रकाश डाला गया है, जो इस तरह है–

1. जीवन अस्ल और आख़िरी है। मरने के बाद कोई जीवन नहीं है, इसलिए इन्सान जीवन को हर तरह से सफल बनाए। जीवन का उद्देश्य बस ऐशो-आराम और भोग-विलास है।

2. कुछ लोगों का विचार है कि मौत के बाद जीवन है। इसे परलोक का जीवन कह सकते हैं। स्वर्ग और नरक भी एक सच्चाई है। पारलौकिक जीवन में स्वर्ग पाने के लिए इन्सान



उस ईश्वर के बेटे पर अपनी आस्था रखे और यह स्वीकार करे कि हर इन्सान पैदाइशी गुनाहगार है, अर्थात जन्मजात पापी है। उसके बेटे ने सूली पर जान देकर इन्सानों के गुनाहों और पापों का कफ़्फ़ारा (प्रायश्चित) अदा कर दिया।

3. कुछ दूसरे लोगों का विचार है कि मरने के बाद जीवन का अंत नहीं होता। इन्सान अपने भले और बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए बार-बार इस संसार में जन्म लेता है। कभी कीड़े-मकोड़े, पशु-पक्षी, पेड़-पौधे और कभी इन्सान के रूप में। यहां तक कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के पश्चात इन्सान को मुक्ति मिलती है।

4. एक धारणा यह है कि यह सांसारिक जीवन हर इन्सान के लिए एक इम्तिहान है। इन्सान और समस्त जीव-जन्तु, पशु-पक्षी, चल-अचल सब चीज़ों का स्रष्टा एक है। ईश्वर ने इन्सान को बुद्धि-विवेक प्रदान की है, ताकि वह सोच-विचार करके अपना जीवन-व्यतीत करे कि मौत के बाद एक हमेशा का जीवन है। जिसने ईश्वर को एक मालिक, पालनहार, स्रष्टा मानकर उसके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपना जीवन निर्वाह किया, वह मरने के बाद स्वर्ग का अधिकारी होगा, यह उसके लिए बहुत ही बड़ी सफलता है। जिसने ईश्वर को नहीं माना और उसके बताए गए मार्ग पर न चला और अपना जीवन ईश्वरीय इच्छा के विपरीत गुज़ारा, वह नरक का भागी होगा। उसे नरक की दहकती हुई आग में सदैव के लिए जलना होगा। यह उसके लिए बहुत नाकामी व असफलता होगी। इन्सान अपने सांसारिक कर्मों के लिए ईश्वर के समक्ष जवाबदेह है और हर कर्म के बारे में अल्लाह इन्सान से पूछेगा।

मौत के बाद जीवन के बारे में आंखों देखी असफलता के बाद सच्चाई तक पहुंचने का दूसरा मार्ग यह है कि इन्सान अपनी पैदाइश और कायनात (ब्रह्मांड) की निशानियों और सबूतों पर सोच-विचार करके इसके सत्य व असत्य होने के बारे में अपना मत प्रकट करे।

इनमें से कौन-सा विचार सही और



सच्चाई के क़रीब है? इसकी जानकारी प्राप्त करने की ज़िम्मेदारी इन्सान की है। पारलौकिक जीवन या मृत्यु पश्चात जीवन के बारे में हमें बहुत सोच-समझ कर निर्णय करना है। आज के ग़लत फ़ैसले का परिणाम कल नरक की आग और भयानक प्रकोप के रूप में सामने आये तो यह कितना भयानक परिणाम है। जो लोग मौत के बाद जीवन को आंखों से देखे बिना मानने के लिए तैयार नहीं हैं, वे विश्वास के साथ केवल इतनी बात कह सकते हैं कि हम नहीं जानते कि मरने के बाद कोई जीवन है या नहीं, लेकिन वे यह बात नहीं कह सकते कि हम जानते हैं कि मरने के बाद कोई जीवन नहीं है। इसी सच्चाई को मालूम करने के लिए आंखों से देखना ही एक मात्र रास्ता नहीं है।

आज तक कोई मरने वाला वापस लौटकर यह नहीं बताता कि मौत के बाद जीवन है, स्वर्ग और नरक सब कुछ है और न ही उसने यह बताया कि मौत के बाद कोई और जीवन नहीं है। स्वर्ग और नरक की धारणा सब झूठ है, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि वहां कुछ नहीं है। जब जीवन के इतने अहम मसले में ऐसी सूरतेहाल से हम दो-चार हों तो फिर सच्चाई तक पहुंचने का मार्ग क्या हो सकता है?

मौत के बाद जीवन के बारे में आंखों देखी असफलता के बाद सच्चाई तक पहुंचने का दूसरा मार्ग यह है कि इन्सान अपनी पैदाइश और कायनात (ब्रह्मांड) की निशानियों और सबूतों पर सोच-विचार करके इसके सत्य व असत्य होने के बारे में अपना मत प्रकट करे।

धार्मिक व पौराणिक किताबों, वेद और बाइबल से मालूम होता है कि मौत के बाद जीवन है। स्वर्ग और नरक एक हक़ीक़त है। महाप्रलय के बाद मरे हुए इन्सान जीवित होकर स्वर्ग और नरक को अपनी आंखों से देखेंगे, यह बात बिल्कुल यथार्थ है। क़ुरआन आज से 1450 वर्ष पूर्व ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) पर अवतरित हुआ था। यह अन्तिम ईश ग्रंथ है। इसमें समस्त मानव के लिए हिदायत, आदेश-निर्देश तथा मार्गदर्शन है। इसके बाद कोई और किताब मानव के मार्गदर्शन हेतु नहीं आएगी। हमारी आंखों से अदृश्य सच्चाई को जानने के लिए और स्वीकार करने के लिए पवित्र क़ुरआन इस ब्रह्मांड में फैली हुई क़ुदरत की निशानियों और प्रमाणों पर चिंतन-मनन करने की दावत (आह्वान) देता है और उनकी आवश्यक्ताओं और मांगों के बारे में भी बताता है।

इन सच्चाइयों का इन्कार करने का जो नुक़सान होगा क़ुरआन उससे भी मानव को अवगत करता है। इसी लिए बुद्धि और विवेक तथा चिंतन-मनन करने की योग्यता ईश्वर ने केवल मनुष्य को दी है। इन्सान के लिए यह बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है कि वह बुद्धि विवेक व योग्यता के द्वारा केवल अपनी अमानुषिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, जैसे खाना-पीना, रहना-सहना इत्यादि। वह अपनी ज़िन्दगी के बुनियादी सवालात और अंजाम के बारे में चिंतन-मनन करके सही नतीजे तक पहुंचता है। किसी यथार्थ को अस्वीकार करने से सच्चाई नहीं बदलती।

एक ईश्वर निराकार सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी ईश्वर (अल्लाह) को मानने और उसके सामने पारलौकिक जीवन में कर्मों की जबावदेही का दृढ़ विश्वास के अमली तक़ाज़े हैं। इनको जानना और व्यक्तिगत तथा सामूहिक जीवन में पूरा करना ज़रूरी है।

विशेषकर ईश्वर ने अपना सन्देश और संपूर्ण जीवन के लिए मार्गदर्शन जिन ईशदूतों (नबियों और रसूलों) पर अवतरित किया उनको और अन्तिम ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) को तथा उन पर अवतरित ईशग्रंथ क़ुरआन के अध्ययन से जीवन के इस मूल और अहम मसले की सच्चाई को समझने और स्वीकार करने तथा उसके बारे में निर्णय करने में सहायता मिलेगी। ■■

ताकि हर शब्द दिल में बैठ जाए



सौंदर्य बोध



एस. अमीनुल हसन

आधुनिक समय का इन्सान अपनी इन्सानी हैसियत को खोता जा रहा है, इसका कारण यह है कि यह संपूर्ण जगत जिसके आदेश से चल रहा है उस ईश्वर के अस्तित्व को आधुनिक समय के इन्सान ने मानने से इन्कार कर दिया, जिसके नतीजे में ख़ुद उसने अपने व्यक्तित्व को खो दिया। वह अपने केंद्र व धुरी से निकलकर बाहर आ चुका है, अब जानवरों की सतह पर जा गिरने से उसे कोई चीज़ बचा नहीं सकती। अब मानव सभ्यताएं भी पतन का शिकार हो रही हैं।

आधुनिक समय के राज्यों और सरकारों को देखिए, नफ़रतों का बाज़ार गर्म है। अत्याचार, अन्याय और अराजकता का राज है। ऐसे हालात में सीधी राह और ईमान से जुड़े हुए लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कि वे लोगों के बीच पहुचें और उन्हें ईश्वर का मार्ग दिखाएं।

इसलिए कि आज के समय का इन्सान अपने भीतर ख़ाली-ख़ाली महसूस करता है। वह अपने जीवन में दिशाहीन है। उसके जीवन को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वह किसी जंगल, वीराने या रेगिस्तान में इधर-उधर भाग रहा हो और उसे अपनी मंज़िल का पता नहीं है। इन्सान की इस हालत पर क़ुरआन कहता है–

''ऐ नबी, इनसे पूछो कि क्या हम अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारें जो हमें फ़ायदा दे सकते हैं न नुक़सान? और जबकि अल्लाह हमें सीधा मार्ग दिखा चुका है तो क्या अब हम उल्टे पांव फिर जाएं? क्या हम अपनी हालत उस व्यक्ति की-सी बना लें जिसे शैतानों ने बयाबान (सहरा) में भटका दिया हो और वह हैरान व परेशान फिर रहा हो, हालांकि उसके साथी उसे पुकार रहे हों कि इधर आ, यह सीधी राह मौजूद है? कहो, ''वास्तव में सही मार्गदर्शन तो सिर्फ़ ईश्वर (अल्लाह) ही का मार्गदर्शन

है और उसकी ओर से हमें यह आदेश मिला है कि विश्व के मालिक के आगे आज्ञाकारिता के साथ सिर झुका दो।'' (क़ुरआन, 6:71)

आज हालत यह है कि हमारी पारिवारिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न होकर रह गई है। ऐसे में हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि समाज को फिर से उसकी असल बुनियादों की ओर लौटाएं। प्रेम, स्नेह और ज़िम्मेदारियों को समझना एवं उन्हें स्वीकार किए जाने के साथ ही राज्यों और सरकारों का सुधार इस प्रकार से हो कि वे न्याय व समानता पर क़ायम हो जाएं। इन कामों को करने के लिए बहुत से माध्यम हैं, उनमें भाषण एक महत्वपूर्ण माध्यम एवं उपकरण है। आज भी, जबकि तकनीक बहुत ही विकसित हो चुकी है। संचार के नित नए उपकरण हमारे सामने आ चुके हैं, इसके बावजूद भाषण का जादू आज भी चलता है।

आज भी भाषण के कौशल से झूठ को सच और सच को झूठ साबित कर दिया जाता है। इस कौशल के माध्यम से नफ़रत की गोलियों को बेचकर अपनी राजनीति को चमकाया जाता है। लोग इन गोलियों को बड़े चाव से लेते हैं और खाते हैं, जिसके नतीजे में पूरे समाज में एक अराजकता फैल रही है। यदि हम हिटलर का उदाहरण देखें तो पता चलता है कि उसके भाषण सोए हुए लोगों को जगा देते थे। अपने ज़बरस्त भाषणों से वह इन्सानों को दरिंदों की सहत उतार देता था।

इसी प्रकार समाज में भलाई लानी हो तो भी भाषण एक महत्वपूर्ण माध्यम व उपकरण है। जो लोग समाज में बिगाड़ लाए उन्होंने भी भाषण के कौशल का इस्तेमाल किया। मार्टिन लूथर किंग, जूलियर के वे भाषण जोकि बेहद प्रभावशाली और ऐतिहासिक हैं, देखने और सुनने से पता चलता है किस प्रकार से उसने इसकी एक कल्पना प्रस्तुत की कि मैं एक ऐसी दुनिया को देखना चाहता हूं जहां समानता हो, प्रेम एवं स्नेह हो। हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां गोरे और काले का भेद न हो।

ऐसे बहुत से शानदार भाषण आज भी आपको सुनने और देखने को मिल जाएंगे, जिनमें ज़बरदस्त जादू मौजूद हैं। एक-एक शब्द दिलों के भीतर जाकर बैठ जाते हैं। विचारों एवं मन मस्तिष्क के सांचों को बदल देने वाले भाषण होते हैं। इसलिए अल्लाह ने आपको भी बोलने, अपने विचारों को लोगों के सामने रखने की जो की योग्यता प्रदान की है उसे और निखारने की ज़रूरत है। क़ुरआन कहता है-"उसी ने इन्सान को पैदा किया और उसे बोलना सिखाया।" (क़ुरआन, 55:3-4)

अब्राहम लिंकन के शानदार भाषणों के नतीजे में अमेरिका के अश्वेत लोगों की स्थिति में सुधार आया। ऐसे बहुत से शानदार भाषण आज भी आपको सुनने और देखने को मिल जाएंगे, जिनमें ज़बरदस्त जादू मौजूद है। एक-एक शब्द दिलों के भीतर जाकर बैठ जाते हैं। विचारों एवं मन मस्तिष्क के सांचों को बदल देने वाले भाषण होते हैं। इसलिए अल्लाह ने आपको भी बोलने, अपने विचारों को लोगों के सामने रखने की जो की योग्यता प्रदान की है उसे और निखारने की ज़रूरत है।

क़ुरआन कहता है–''उसी ने इन्सान को पैदा किया और उसे बोलना सिखाया।'' (क़ुरआन, 55:3-4)

यह बात सही है कि दो-चार लोगों के बीच बात कर लेना तो आसान होता है, लेकिन जहां पचास साठ लोग मौजूद हों, मजमे के सामने खड़े होकर लोगों के बीच बोलने से बहुत से लोग घबराते हैं। हमें इस घबराहट को दूर करना चाहिए।

भाषण एक कला है इस कला को हमें सीखना चाहिए। दुनिया में हर चीज़ सीखने से आती है। साईकिल, मोटर साईकिल या कार चलाना हमने सीखा, जीवन में और भी बहुत सी चीज़ों को हमने सीखा, इसी प्रकार भाषण कला को भी हमें सीखना चाहिए।

हममें से वे लोग जो अपने मुहल्ले, अपने शहर और अपनी बस्ती में खड़े होकर बात कर सकते हैं, उन्हें चाहिए कि अपने भाषण की योग्यता को बेहतर बनाएं। उसे मांजें और उसमें चार चांद लगाएं। उसकी बाक् कला, भाषण की शैली एवं संबोधन का कौशल ऐसा हो, जिसके नतीजे में लोगों के विचार बदल जाएं और उनके क़दम भलाई की ओर बढ़ने लगें। ऐसा भाषण न हो जो उबाऊ और लोगों को बोर करने वाला हो बल्कि भाषण ऐसा हो जो सोते हुए लोगों को जगा दे। बेहिस लोगों के अंदर हिस पैदा कर दे और मुर्दों के अंदर एक



नई जान फूंक दे।

मुख्य रूप से भाषण के तीन मक़सद होते हैं। पहला मक़सद है सूचनाओं को साझा करना। सूचनाओं को साझा करने के लिए भाषण दिए जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जब हम भाषण देने के लिए खड़े हों तो उससे सूचनाएं साझा हों और सुनने वाले को कोई नई बात मिले। यदि नया ज्ञान, नई बातें और नए विचार न हों तो भाषण बिल्कुल रस्मी हो जाएगा। भाषण का दूसरा मक़सद है लोगों को प्रेरित करना। किसी विशेष कार्य या उद्देश्य को लेकर लोगों में उत्साह का संचार करना और उन्हें जगाना। ऐसे भाषण प्रेरणा के लिए होते हैं। भाषण का तीसरा उद्देश्य मनोरंजन है। दुनिया में हर दौर में मनोरंजन के लिए भी भाषण होते रहे हैं, मनोरंजन इस समय हमारा विषय नहीं है, लेकिन उक्त दोनों विषय गंभीर और महत्वपूर्ण हैं।

यहां भाषण के लिए कुछ महत्वपूर्ण और बुनियादी बातों का उल्लेख करना ज़रूरी है। हालांकि चंद शब्दों पूरी बात का उल्लेख करना कठिन है, लेकिन फिर भी संक्षेप में मैं अपनी बात को रखने का प्रयास करूंगा। इसके लिए पहली बुनियादी बात है 'तैयारी'। तैयारी का मतलब यह है कि यदि पांच मिनट की भी सार्वजनिक चर्चा करनी हो तो आपको तैयारी करना अनिवार्य है। बिना तैयारी के कभी भाषण नहीं देना चाहिए।

जब आप किसी विषय या मुद्दे पर बात करें तो यह देख लें और तय कर लें कि वह विषय क्या है। आप उस पर, क्यों? क्या? और कैसे? का पूरा संदर्भ देख लें। कोई भी विषय हो, आप सवाल खड़े करिए। यह क्या है? यह क्यों है? यह कैसे है? जब आप सवाल खड़े करेंगे तो आपकी तैयारी होगी। तैयारी का मतलब यह नहीं है कि आप लाइब्रेरी से किताबें निकालें और उसे खोलकर उसके पन्नों में चीज़ों को तलाश करें। मानसिक तैयारी स्वयं अपने आप में एक बहुत बड़ी तैयारी होती है और भाषण के लिए तो मानसिक तैयारी ही बेहद ज़रूरी है, जिससे आपके भाषण का एक ढांचा बन जाएगा। एक बार जब ढांचा बन जाए तो इसके बाद उसे भरने के लिए आप किताबों और पत्र पत्रिकाओं को देख सकते हैं।

विषय की शुरुआत कैसे होगी, उस विषय को आप आगे कैसे लेकर चलेंगे और उसका अंत कैसे होगा? जब आप भाषण देंगे तो अंत में आप सुनने वालों से क्या उम्मीद रखते हैं? उन पर आप क्या प्रभाव छोड़ना चाहते हैं और उनमें क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं? आपके भाषण की कार्य योजना क्या है? इन बातों पर विचार करना ही मानसिक तैयारी है।

दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आपकी तैयारी हो जाए तो भाषण में आपकी उपस्थिति कैसी हो?





सबसे आख़िर में आता है प्रस्तुतीकरण। जब आप भाषण देना शुरु करें तो आपका आत्मविश्वास प्रकट होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी बात के प्रभाव में 7 प्रतिशत मौखिक, 38 प्रतिशत स्वर एवं शैली और 55 प्रतिशत शारीरिक भाषा की भूमिका होती है। इसलिए जिस प्रकार की बात चल रही हो उसी प्रकार के स्वर, शैली और शारीरिक भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए।

जब आप भाषण दें तो कैसे दिखें, ऐसा न लगे कि जैसे सोते हुए उठ कर सीधे आ गए हों। ऐसा न हो कि आपके बाल बिखरे और कपड़े आड़े तिरछे हों। खड़े हों तो ऐसा न लगे कि आपकी टांगों में दर्द है और आप घबराए व सहमे हुए हैं। यदि आपके हाव-भाव, कपड़े या बाल इत्यादि आड़े तिरछे होंगे तो सुनने वालों की दिलचस्पी उसमें बढ़ जाएगी और जो कुछ बोल रहे होंगे उस पर उनका ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए यह ज़रूरी है कि एक वक्ता को शानदार तरीक़े से आकर खड़ा होना चाहिए। हो सकता है कि उस वक़्त आपकी कही हुई बात ऐतिहासिक हो जाए और सौ साल बाद लोग उसे उठाकर देखें कि आपने कोई ऐसी बात कह दी जिसके नतीजे में दुनिया के इतिहास का धारा बदल गई। इसलिए भाषण के समय आपकी उपस्थिति कैसी हो यह बहुत महत्वपूर्ण है।

सबसे आख़िर में आता है प्रस्तुतीकरण। जब आप भाषण देना शुरू करें तो आपका आत्मविश्वास प्रकट होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी बात के प्रभाव में 7 प्रतिशत मौखिक, 38 प्रतिशत स्वर एवं शैली और 55 प्रतिशत शारीरिक भाषा की भूमिका होती है। इसलिए जिस प्रकार की बात चल रही हो उसी प्रकार के स्वर, शैली और शारीरिक भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। यह सब कुछ सीखने से आता है। बहुत से ऐसे संस्थान हैं जो इसका पूरा प्रशिक्षण देते हैं और सिखाते हैं। मैंने आपको सामने केवल एक इशारा दिया है। आप चाहें तो स्वयं इसकी रूप-रेखा तैयार कर सकते हैं और सीख सकते हैं ताकि आप जो संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं उसे प्रभावशाली ढंग से पहुंचा सकें। ■■



HousE of WisdoM

ISLAMIC BOOKS | AUDIO / VISUALS | GIFTS / PRODUCTS

Students Centre, Opp. Law College,
Miramar, Panjim, Goa

Call: 0832 2462632, 9822163132

hikmahfoundationgoa@gmail.com, www.jihgoa.org

Please Visit

Address : Shop No 1, Opposite Law College, Miramar,
Db Marg, Panjim, Near Dr Supriya Kamat, Panaji-403001



नारी स्वतंत्रता और न्याय का प्रश्न

मुख्य स्तम्भ



सुफ़ियान अहमद

महिलाओं की आज़ादी सामाजिक समानता और सामाजिक बराबरी के संबंध में अक्सर बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं। लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों की बात कही जाती है। कहा जाता है कि महिलाएं सशक्त हो चुकी हैं। हर क्षेत्र में उन्होंने अपना लोहा अपनी मेहनत, हिम्मत, हौसले और बहादुरी से मनवा लिया है। वर्तमान समय में दुनियाभर में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज न करा दी हो। यहां तक कि वे शासन और प्रशासन के शीर्ष पदों पर भी विराजमान हैं।

यह सिक्के का एक पहलू है, जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। जब हम महिला स्वतंत्रता और सामाजिक बराबरी की बात करते हैं तो कार्य, व्यवसाय और बड़े-बड़े पदों पर महिलाओं की नियुक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो कहीं कोई कमी नज़र नहीं आती, लेकिन सवाल उठता है कि क्या महिला सशक्तीकरण इसी का नाम है? क्या समाज में उनके व्यवसाय या नौकरियों में उनकी भर्ती को देखकर हम इसे उनकी उन्नति का पैमाना समझें?

वास्तविकता यह है कि स्वतंत्रता, समानता और प्रगति की यह ग़लत अवधारणा समाज को किस प्रकार असंतुलित कर रही है, इसका अनुमान लगाया जाना आवश्यक है। टूटते घर, बिखरते परिवार, समाज में रिश्तों का कम होता महत्व और महिलाओं के ख़िलाफ़ बढ़ते अपराधों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली परिस्थितियां भविष्य में कैसे समाज की तस्वीर प्रस्तुत करती हैं? क्या इसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए।

महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के मामले में आज हमारा समाज इतना असंवेदनशील हो चुका है कि अपराधियों को दंड देना तो दूर,

दरअस्ल, महिलाओं को लेकर स्वतंत्रता, समानता और न्याय की आज जो परिभाषा गढ़ी जा रही है उस पर पश्चिम का प्रभाव है। स्वतंत्रता और समानता का झांसा देकर महिलाओं को बाहर निकाला गया और इसे महिला सशक्तीकरण का नाम देकर हर जगह उनके शोषण के सारे रास्ते खोल दिए गए, जहां उनका आर्थिक शोषण के साथ-साथ शारीरिक शोषण भी देखने को मिलता है।



महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाले बहुत से कृत्यों को अपराध की श्रेणी में भी नहीं रखा जाता है। महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाले अपराधों में लगातार बृद्धि दर्ज हो रही है। साइबर अपराधों के मामले भी आए दिन कभी सुल्ली डील तो कभी बुल्ली बाई के रूप में सामने आते रहते हैं। महिलाओं को अपमानित करने और उनका शील भंग करने वाले असमाजिक तत्व क़ानून की गिरफ़्त से दूर नज़र आते हैं। तथाकथित महिला सशक्तीकरण के खोखले नारे लगाले वाले महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता को आख़िर किस नज़र से देखते हैं? इस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है।

दरअस्ल, महिलाओं को लेकर स्वतंत्रता, समानता और न्याय की आज जो परिभाषा गढ़ी जा रही है उस पर पश्चिम का प्रभाव है। स्वतंत्रता और समानता का झांसा देकर महिलाओं को बाहर निकाला गया और इसे महिला सशक्तीकरण का नाम देकर हर जगह उनके शोषण के सारे रास्ते खोल दिए गए, जहां उनका आर्थिक शोषण के साथ-साथ शारीरिक शोषण भी देखने को मिलता है।

आज महिलाएं कहीं भी अपने मान-सम्मान, पवित्रता और गरिमा की गारंटी के साथ नहीं रह पा रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा कहीं भी सुनिश्चित नहीं है। बात यदि हमारे देश भारत की जाए तो राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार, वर्ष 2021 में महिलाओं के ख़िलाफ़ कुल 31000 आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जोकि वर्ष 2014 के बाद से कभी इतने नहीं बढ़े थे। इनमें से पचास प्रतिशत मामले केवल उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women, NCW) की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 20121 में महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाले अपराधों में 30 प्रतिशत की बृद्धि हुई है और यह संख्या बढ़कर 30684 तक पहुंच गई है। इनमें से अधिकतर मामले यौन हिंसा और उनके मान सम्मान से जुड़े हुए थे। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 22

मिनट पर एक का यौन शोषण होता है।

इसके अलावा महिलाओं से जुड़ी विभिन्न रिपोर्टें बताती हैं कि महिलाओं का मान सम्मान उन्हें नहीं मिल रहा है। सवाल यह है कि महिलाओं के मान सम्मान और सशक्तीकरण के संबंध में हम कैसी तस्वीर पेश कर रहे हैं? परिस्थितियां जो सवाल खड़े कर रही हैं, उसका हमारे पास क्या जवाब है? दुनियाभर में महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा, अत्याचार और शोषण के बढ़ते हुए रुझानों की रोकथाम के लिए हम कितने प्रतिबद्ध हैं?

बेलगाम पूंजीवाद के बढ़ते प्रभाव तथा बाज़ारवाद ने नारी देह और उसकी सुंदरता के प्रदर्शन को विज्ञापन, बाज़ार और प्रचार का प्रमुख साधन बना दिया है। समाज में इसका प्रभाव इतना बढ़ गया है कि आज नारी की दैहिक सुंदरता और उसके प्रतिमान लडकियों और महिलाओं के आदर्श बनते जा रहे हैं।

महिलाओं से जुड़ी विभिन्न रिपोर्टें बताती हैं कि महिलाओं का मान-सम्मान उन्हें नहीं मिल रहा है। सवाल यह है कि महिलाओं के मान-सम्मान और सशक्तीकरण के संबंध में हम कैसी तस्वीर पेश कर रहे हैं? परिस्थितियां जो सवाल खड़े कर रही हैं, उसका हमारे पास क्या जवाब है? दुनिया भर में महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा, अत्याचार और शोषण के बढ़ते हुए रुझानों की रोकथाम के लिए हम कितने प्रतिबद्ध हैं ?

दरअस्ल, महिला सशक्तीकरण के नाम पर गढ़े जा रहे ग़लत प्रतिमानों द्वारा ऐसा माहौल बनया गया, जिसमें महिलाओं को उनका सही स्थान और अधिकार नहीं मिल पा रहा है। आज स्थिति यह है तथाकथित, प्रबुद्ध और सभ्य कहे जाने वाले समाजों में ही महिलाओं को अधिक शोषण और अत्याचार का शिकार होना पड़ रहा है। महिलाओं के ख़िलाफ़ यौन हिंसा के आंकड़ों पर नज़र डालें तो अधिकतर विकसित और स्वतंत्र सोच वाले देश इस सूची में सबसे आगे नज़र आते हैं।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों पर यदि ग़ौर करें तो इस सूची में पहला नाम अमेरिका का आता है। इसी क्रम में यदि शीर्ष दस देशों की बात करें तो सभ्य और प्रबुद्ध कहे जान वाले देशों में क्रमशः दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, भारत, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा और अंत में श्रीलंका व इथियोपिया जैसे देशों के नाम आते हैं। हैरानी की बात यह है कि परेशान कर देने वाली ऐसी रिपोर्टों के बावजूद इनमें से अधिकांश ख़ुद को विकसित, स्वतंत्र विचार और महिला मुक्ति का अग्रदूत देश मानते हैं। महिला सशक्तीकरण की सतही बातों में आकर महिलाओं ने क्या हासिल किया इस पर गहन चिंतन-मनन और मंथन करने की आवश्यकता है।

महिलाओं का असली सशक्ती-करण उनकी बुद्धि और कौशल से ही हो सकता है, महिला सशक्तीकरण की जब तक ग़लत परिभाषा गढ़ी जाती रहेगी तब तक महिलाओं के सशक्तिकरण की राह आसान होने वाली नहीं है।

वास्तविकता यह है कि ऐसी स्वतंत्रता और समानता जोकि अपने आप में प्रकृति के नियामों के विरूद्ध हो, हासिल करने से सिवाय नुक़सान के फ़ायदा कभी नहीं होता। आज आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं के गरिमापूर्ण अस्तित्व, समानता, सुरक्षा के साथ-साथ उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों से जुड़े प्रश्नों पर भी विचार किया जाना चाहिए। समानता के साथ-साथ न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों और नियमों को भी समझने की आवश्यकता है। महिलाओं को असाधारण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, साथ ही उनकी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक ज़रूरतें भी अलग-अलग होती हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर और जगत स्रष्टा ने इन्सान होने की हैसियत से पुरुषों और महिलाओं, दोनों को समान दर्जा दिया है। उनकी प्रतिस्पर्धा पुरुषों के साथ नहीं है, क्योंकि शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों की प्रवृत्तियों में प्राकृतिक रूप से भेद है। स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं प्रतिद्वंदी नहीं।

केवल सतही मामलों पर हंगामे और महिलाओं को उनकी प्रकृति के विपरीत धारा की ओर धकेलने से महिलाओं का सशक्तीकरण होगा इसे सही मान लेना महिलाओं के साथ अन्याय होगा। आज दुनिया को यह समझने की ज़रूरत है कि सृष्टीकर्ता ने स्त्री एवं पुरुष के बीच जो विभेद किए हैं उनका आधार न्याय है और प्रकृति के इस न्याय को स्वीकर किया जाना चाहिए।

■■



दृष्टिकोण

उम्मे हस्सान

इस रुझान का क्या है कारण ?



क़ुदरत ने स्त्री और पुरुष दोनों को एक-दूसरे का पूरक बनाया, लेकिन इन्सान ने अपनी स्वरचित अवधारणा से इन्हें परस्पर विरोधी बना दिया। यही नहीं, स्त्री के अपने अस्तित्व और उससे जुड़े उन कार्यों को, जो उसकी शारीरिक रचना को देखते हुए प्रकृति ने उसके सुपुर्द किए, उन्हें हेय और तुच्छ बताया जाने लगा। दूसरी ओर पुरुष और उसकी स्वाभाविक ज़िम्मेदारियों के अधीन आने वाले कार्यों को श्रेष्ठ समझा जाने लगा।

इस अवधारणा का बीजारोपण ज़ाहिर है कि पुरुषों द्वारा ही किया गया होगा, लेकिन विडंबना यह हुई कि प्राचीनकाल में 'मंद बुद्धि' कही जाने वाली स्त्री ने भी इस पर विचार किए बिना इसे ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया और आज की स्त्री अपने आधुनिक होने के तमाम दावों के बावजूद इस भेदभावपूर्ण अवधारणा से पीछा नहीं छुड़ा पाई है, बल्कि सच कहा जाए तो सबसे अधिक वही इस हीनभावना से ग्रस्त दिखाई देती है। इसलिए कि गांव-देहात की सीधी-सादी स्त्रियां तो स्त्री और पुरुष के

स्वाभाविक एवं प्राकृतिक अन्तर को मानते हुए अपनी स्थिति को हंसी-ख़ुशी स्वीकार किए रहती हैं कि उनका काम घर संभालना है, और पति का काम बाहर के मामलों को देखना। उन्हें पति की आज्ञा मानने में भी कोई आपत्ति नहीं है, और न वे इसे कोई ग़ुलामी या ज़ुल्म समझते हुए अस्वाभाविक बराबरी की मांग करती हैं।

मुश्किल तो उन तथाकथित आधुनिक महिलाओं के साथ पेश आती है जो दावा तो स्त्री-पुरुष की बराबरी का करती हैं, परन्तु उन्होंने भी पुरुष और उससे जुड़े कार्यों को श्रेष्ठ मान रखा है। इसी लिए उनका सारा ज़ोर हर वक़्त इस बात पर होता है कि स्त्रियां किसी भी मामले में पुरुष से कम नहीं। सवाल यह है कि इस मुक़ाबले की ज़रूरत ही क्यों पेश आती है? स्त्री और पुरुष दोनों की शारीरिक संरचना अलग है, क़ुदरत ने दोनों के कार्यों का निर्धारण अलग किया है, दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं तो फिर स्त्री आख़िर पुरुष जैसा क्यों बनना चाहती है?

क्यों वह यह कहना चाहती है कि वह पुरुष से कम नहीं है? उसने यह क्यों स्वीकार कर लिया कि पुरुष का अस्तित्व, उसकी शारीरिक रचना तथा उससे जुड़े कार्य श्रेष्ठ होने का प्रमाण हैं? और क्यों वह पुरुष के कार्य-क्षेत्र में पदार्पण करने को अपने लिए सौभाग्य और गौरव की बात समझती है?

पुरुष को लेकर स्त्री की यह हीनभावना इतनी बढ़ गई है कि उसे महिलाओं के वे कार्य भी तुच्छ और मामूली लगने लगे हैं, जो पुरुष चाहे भी तो नहीं कर सकता। एक स्त्री द्वारा बच्चे को नौ महीने तक गर्भ में रखना, फिर प्रसव पीड़ा झेलकर और जान पर खेलकर उसे जन्म देना निश्चय ही कोई मामूली काम नहीं है। इसके अलावा बच्चों की शिक्षा-दीक्षा का ज़िम्मा भी स्त्री उठाती है। मगर विडंबना यह है कि हीनभावना से ग्रस्त स्त्री को अपने ये सारे कार्य महत्वहीन लगते हैं, इसलिए कि पुरुष द्वारा किए गए कार्य ही को वह श्रेष्ठ समझ बैठी है या उसे ऐसा समझा दिया गया है। स्त्री-पुरुष समानता का प्रखर रूप जो आज की आधुनिक नारी में देखने को मिल रहा है (और उसके प्रभाव से आम स्त्रियों में भी आ रहा है) वह है पतियों के मुक़ाबले में समानता का दावा।

कुछ महत्वपूर्ण केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को एक नोटिस भेजा जिसमें आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने 10वीं कक्षा के अंग्रेज़ी



परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए पैराग्राफ़ को न केवल महिला विरोधी ठहराया, बल्कि बच्चों के अंदर नकारात्मक सोच एवं लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देने वाला कहा है।

सीबीएसई द्वारा पूछे गए सवाल में कहा गया है कि "महिलाओं में स्वतंत्रता और समानता में वृद्धि के कारण बच्चों में अनुशासनहीनता बढ़ गई है। वहीं, जब से पत्नियों ने पति की आज्ञा की अवहेलना करनी शुरू की है तब से बच्चों के अंदर माता-पिता का भय ख़त्म होना शुरू हो गया।"

आयोग ने इस पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे न केवल महिला विरोधी ठहराया, बल्कि बच्चों के अंदर नकारात्मक सोच एवं लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देने वाला भी कहा। आयोग के मुताबिक़, जिसने भी यह पैराग्राफ़ लिखा है वह व्यक्ति महिला विरोधी और लैंगिक भेदभाव में विश्वास करने वाला है और महिलाओं से जुड़े मुद्दों और नारीवाद के बारे में उसकी समझ पूरी तरह से विकृत है।

दिल्ली महिला आयोग की प्रतिक्रिया स्वाभाविक ही है, इसलिए इस पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आयोग को यह लगता है कि यह महिला विरोधी सोच है तो उसे इसका अधिकार है, परन्तु क्या ही अच्छा होता अगर वह आपत्ति जताने के साथ यह भी बताने का कष्ट करता कि बच्चों के अंदर माता-पिता के भय के समाप्त होने का मूल कारण क्या है? और उनमें माता-पिता की अवज्ञा का रुझान क्यों बढ़ रहा है?

सवाल यह भी है कि यदि किसी स्त्री को पति की आज्ञा मानने में अपनी तौहीन महसूस होती है (वह पति जो उसे हर प्रकार की सुरक्षा और सुविधाएं प्रदान कर रहा होता है) और वह इसे स्त्री-पुरुष समानता के ख़िलाफ़ समझती है, तो फिर ऐसे वातावरण में पलने वाले बच्चे माता-पिता की आज्ञा क्यों मानें? उन्हें अगर लगता है कि माता-पिता की आज्ञा मानना ग़ुलामी के समान है, तो इस पर आश्चर्य कैसा? सीबीएसई ने शायद इसी कड़वे सच की ओर ध्यान दिलाने का प्रयास किया था, जिसे महिला विरोधी समझा गया। ■■



गरिमा के साथ अधिकार प्राप्त करें महिलाएं

निष्कर्ष



रहमतुन्निसा

हर साल आठ मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से महिलाओं के लिए यह दिन मनाने के लिए तारीख़ तय की गई है। यह सही है कि महिलाओं को शिक्षा, करियर और सियासत के मैदान में बेहतर अवसर मिले और दुनिया के कई हिस्सों में इस तरह के आयोजनों की बदौलत महिलाओं के अधिकार को लेकर जागरूकता आई है। महिला अधिकार के आंदोलन की कोशिशों का सम्मान करते हुए हम कह सकते हैं कि वे लोगों में यह जागरूकता पैदा करने में कामयाब हुईं कि महिलाओं की हालत दयनीय है।

शुरू में, इसने महिलाओं के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हालात को बेहतर बनाने में किसी हद तक मदद की, लेकिन अगर हम सच्चाई का गहराई से विश्लेषण करें तो ऐसे आयोजनों से दुनिया-भर में महिलाओं के जीवन में कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। अधिकतर महिलाओं को यह भी नहीं मालूम कि उनके नाम पर हर साल एक दिन मनाया जाता है।

जिन समाजों में हालात बेहतर हो चुके हैं, वहां महिलाएं समान मौक़े हासिल करने और ख़ुद को पुरुषों के बराबर साबित करने के लिए मुसीबत और दोहरा बोझ उठा रही हैं। अधिकार और समानता के नाम पर महिलाओं को बताए बिना ही उन्हें अतिरिक्त ज़िम्मेदारियों की ओर धकेला जा रहा



पुरुषों के साथ चूहे-बिल्ली की दौड़ में महिला को अपनी सारी ख़ुशियों को कुर्बान या सीमित करना पड़ता है। बच्चे को जन्म देना, दूध पिलाना और उस की देख-भाल किसी भी महिला के लिए सबसे बड़ी ख़ुशी होती है। इस काम को करते हुए बराबरी साबित करने के लिए उसे कुर्बानी देनी पड़ती है। बहुत सी लड़कीयां सिर्फ़ इसलिए शादी में देर करती हैं कि वे डरती हैं कि इससे उनके करियर पर-असर पड़ेगा और उन्हें अपने काम की जगह में पुरुषों से पीछे रहना पड़ेगा। वजह बराबरी के नारे हैं।

है। पेशावराना मैदान में महिला की ओर से मामूली सी ग़लती आम हो जाती है और लोग टिप्पणी करने लगते हैं कि ऐसा इसलिए होता है कि वह महिला है।

सच्चाई यह है कि महिला ड्राइवरों के साथ सड़क हादसे कम होते हैं। डब्लयूएचओ की ओर से रोड सेफ्टी 2018 पर ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक़ छोटी उम्र से ही, महिलाओं के मुक़ाबले पुरुषों का सड़क पर ट्रैफिक हादसों की चपेट में आने की संभावना ज़्यादा होती है। फिर भी अगर कोई हादसा हो जाए और दुर्भाग्य से ड्राइवर महिला हो तो लोग आम तौर पर महिलाओं की योग्यता पर टिप्पणी करने लगते हैं।

इन कथित आज़ाद समाजों का जो अपनी महिलाओं के लिए समान हैसियत हासिल करने का दावा करते हैं, अगर अच्छी तरह से विचार किया जाए तो हम समझते हैं कि महिलाओं ने दबाव झेल कर, संघर्ष और तमाम कुरबानियों की तुलना में कुछ हासिल नहीं किया जो उन्हें समाज में ख़ुद की बराबर की हैसियत स्वीकृत करवाने के लिए देनी पड़ती हैं।

आत्मनिर्भर और सफल महिला की ग़लत अवधारना एक महिला और उसके परिवार को फ़ायदे से ज़्यादा नुक़सान पहुंचाती है। यह बात सिर्फ़ कहने के लिए है ''मुझे पुरुषों की तरह मौक़े चाहिए'' और ''मैं पुरुषों जैसा बनना चाहती हूं।'' अगर आप किसी की तरह बनना चाहती हैं तो इसका मतलब यह है कि आप उसमें कुछ बेहतर देखती हैं और आप मानती हैं कि आप में कुछ कमियां हैं। अतः विश्वास और आत्मसम्मान पैदा करने की बजाए, यह नारे फिर से महिलाएं को बताते हैं कि आप कमतर हैं और आपको बदलने की ज़रूरत है। समानता की जिस तरह व्याख्या की गई है समस्या उसी में है। आधिकतर उदारवादी महिलाओं के निकट 'समानता' का मतलब एक जैसा है। नतीजा यह निकला कि लड़की या महिला हमेशा पुरुषों से तुलना करने लगती है और यह साबित करने की

आत्मनिर्भर और सफल महिला की ग़लत अवधारना एक महिला और उसके परिवार को फ़ायदे से ज़्यादा नुक़सान पहुंचाती है। यह बात सिर्फ़ कहने के लिए है "मुझे पुरुषों की तरह मौक़े चाहिए" और "मैं पुरुषों जैसा बनना चाहती हूं।" अगर आप किसी की तरह बनना चाहती हैं तो इसका मतलब यह है कि आप उसमें कुछ बेहतर देखती हैं और आप मानती हैं कि आप में कुछ कमियां हैं।

कोशिश में लगी रहती है कि वह आस-पास के पुरुषों के बराबर है। महिला की अलग शारीरिक एवं मानसिक विशेषताएं कमज़ोरी समझी जाती हैं, जिन्हें एक मज़बूत महिला के लिए ठीक नहीं समझा जाता। रोना, रिश्तेदारों के लिए अतिरिक्त चिंता, देख-भाल और प्रेम की अभिव्यक्ति को कमज़ोरी के तौर पर देखा जाता है। विडम्बना यह है कि इन तमाम नारों ने महिलाओं को घरेलू काम काज, बच्चों की परवरिश और शिक्षा के साथ-साथ बूढ़ों की देख-भाल से भी आज़ाद नहीं किया बल्कि ख़ानदान के लिए कमा कर पुरुषों के बराबर साबित होने का बोझ डाल दिया।

पुरुषों के साथ चूहे-बिल्ली की दौड़ में महिला को अपनी सारी ख़ुशियों को क़ुर्बान या सीमित करना पड़ता है। बच्चे को जन्म देना, दूध पिलाना और उस की देख-भाल किसी भी महिला के लिए सबसे बड़ी ख़ुशी होती है। इस काम को करते हुए बराबरी साबित करने के लिए उसे क़ुर्बानी देनी पड़ती है। बहुत सी लड़कियां सिर्फ़ इसलिए शादी में देर करती हैं कि वे डरती हैं कि इससे उनके करियर पर-असर पड़ेगा और उन्हें अपने काम की जगह में पुरुषों से पीछे रहना पड़ेगा। वजह बराबरी के नारे हैं।

पुरानी रिवायतों और नज़रियों को कथित आधुनिक या लिबरल नज़रिये से बदलने से महिलाओं को फ़ायदे से ज़्यादा नुक़सान हुआ है। एक महिला अपने जीवन में सच्ची ख़ुशी और आनंद हासिल कर सकती है और समाज के लिए उसी समय उपयोगी हो सकती है जब उसे महिला स्वीकार किया जाए और उसके नारीत्व को मर्दानगी से कमतर न समझा जाए। लिहाजा महिला के लिए उसके स्वभाव और ज़रूरतों के मुताबिक़ हर विभाग, स्कूल, कॉलेज, बाज़ार, दफ़्तर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, संसद, विधानमंडलों और पंचायतों में ऐसे नियम और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जहां महिलाएं अपनी पहचान या औरतपन को खोए बिना या बहुत ज़्यादा दबाव के बिना आराम से अपना मक़ाम हासिल कर सकें। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि महिलाओं के स्वाभाविक गुणों से क्यों छुटकारा हासिल किया जाए? और इन्साफ के साथ बरताव करने के लिए महिलाओं का पुरुषों जैसा ही होना क्यों ज़रूरी है?



हां, अब समय आ गया है कि हम समानता के इन नारों के ख़तरे को समझें। हमें वह सब मिलना चाहिए जिसके हम हक़दार हैं। अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने सिखाया, इन्सानियत माओं की हैसियत में महिलाएं की ज़्यादा क़र्ज़दार है। मां की जगह कोई नहीं ले सकता। आइए नारीत्व और नारी स्वभाव का जश्न मनाएं। ■■

(लेखिका जमाअत इस्लामी हिन्द की महिला विंग की सहायक सचिव हैं।)



महिला सशक्तीकरण के नाम पर...

अभिमत



गरिमा सिंह

यह भूमंडलीकरण का दौर है, जहां बाज़ारवाद अपना परचम लहरा रहा है और मानवीय मूल्यों का व्याकरण भी लगातार बदल रहा है। बाज़ार वह जगह है, जहां वस्तुएं ख़रीदी और बेची जाती हैं। बाज़ार का अपना अर्थतंत्र है, अपना प्रबंधन है। व्यवसाय करने की अपनी नीति-रीति है। वह मनोवैज्ञानिक रूप से हमें प्रभावित करता है। बाज़ारवाद एक वृत्ति है, जो जीवन को मूल्यों से अलग करने का काम करती है। यह स्त्री मानस और उसके आत्मविश्वास को भी प्रभावित कर रहा है।

इस नव-आर्थिक-उपनिवेशवाद और विज्ञापन के व्यवसाय ने महिलाओं को जीविकोपार्जन के अनेक विकल्प दिए, लेकिन स्त्री अस्मिता का प्रश्न जस का तस बना रहा। विज्ञापन ने स्त्री और उसके देह-सौंदर्य का व्यावसायीकरण किया है। आज विज्ञापनों में स्त्री की एक बहुत बड़ी भूमिका है। भूमंडलीकरण के दौर में बाज़ार सीधा महिलाओं के ज़रिये उपभोक्ताओं को लक्ष्य बनाता है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि इन विज्ञापनों में स्त्री की छवि को किस रूप में प्रसारित किया जा रहा है। क्या स्त्रियां इनके माध्यम से अपनी परंपरागत छवियों से बाहर आ रही हैं? या वास्तव में मां, पत्नी और गृहिणी की परंपरागत छवि इनके माध्यम से और पुख़्ता हो रही है?

जो स्त्रियां घरों से बाहर निकल कर काम कर रही हैं, जिन्हें सशक्त माना जा रहा है और दावे भी किए जा रहे हैं कि 'वह बाज़ार को नचाने का सामर्थ्य रखती

हैं, भले बाज़ार उसे नचा रहा हो। पर प्रश्न है कि क्या वाक़ई वह अपनी क़ीमत ख़ुद तय कर पा रही है? ब्रांड का प्रचार कर अधिकाधिक मुनाफ़े का लक्ष्य रखने वाले विज्ञापनों में क्या स्त्री छवि केवल उप-उत्पाद है? ऐसे विज्ञापन जो व्यक्ति के मन-मस्तिष्क पर सशक्त छाप छोड़ते हैं, क्या स्त्रियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं बनाते? हालांकि बाज़ार पुरुष को भी नहीं बख्शता। ज़रूरत पड़ने पर यह उसके भी कपड़े उतरवाने में गुरेज़ नहीं करता, पर विज्ञापन में स्त्री सौंदर्य का जो पैमाना रखा गया है, वह स्त्री मनोविज्ञान को किस तरह प्रभावित करते हैं?

विज्ञापनों का मकसद सामान बेचना होता है। इसके लिए ख़रीदार को लक्ष्य किया जाता है। कभी महिलाएं खुद लक्ष्य होती हैं, तो कभी उनकी वजह से पुरुष कोई ख़ास सामान ख़रीदने को प्रेरित होते हैं। विज्ञापन उनके आत्मविश्वास को कम करते हैं और तथाकथित कमियों की तरफ़ इशारा करते हैं। यह देखा गया है कि ख़ास किस्म के विज्ञापनों में भी स्त्री-शरीर के ज़रिये विज्ञापनों को प्रचारित किया जाता है। मसलन, मोटापा कम करने या कहें 'स्लिम-फिट' होने के विज्ञापन मुख्यतः स्त्री-केंद्रित होते हैं। चाहे यह विज्ञापन मशीनों द्वारा वजन कम करने का हो या रस और फल-सेवन के उपाय सुझाने वाला, लेकिन हमेशा स्त्री-शरीर ही निशाने पर रहता है।

इसमें एक तरफ ज़्यादा वज़न वाली अधनंगी (बिकिनी पहनी) स्त्री पेश की जाती है, तो दूसरी तरफ़ छरहरी-अधनंगी स्त्री। एक तरफ़ ज़्यादा वज़न वाली के खाने का चार्ट दिखाया जाता है, तो दूसरी तरफ़ कम वज़न वाली का। फिर दोनों की तुलना की जाती है कि किस तरह कम वज़न वाली स्त्री मशीन के उपयोग से या कम भोजन कर आकर्षक, कामुक और सुंदर लग रही है। दूसरी तरफ़ अधिक वज़न वाली स्त्री वीभत्स, अकामुक और कुत्सित लग रही है। इसलिए फलां फलां चीज़ सेवन करें या फलां मशीन उपयोग में लाएं ताकि आप भी आकर्षक और कामुक दिख सकें।

सवाल है कि अधिकतर विज्ञापन स्त्री-शरीर केंद्रित ही क्यों होते हैं? क्या स्त्री के अधोवस्त्र या निर्वस्त्र शरीर के ज़रिये विज्ञापन प्रोमोट करने पर वस्तु की मार्केटिंग में इज़ाफ़ा होता है? क्या इससे विज्ञापन कंपनी को फ़ायदे होते हैं? विज्ञापन स्त्रियों के उन्हीं रूपों को प्रधानता देता है, जो शरीर के प्रदर्शन से संबंध रखता है, उसकी बुद्धि और मेधा के विकास से नहीं, उसकी पढ़ाई से नहीं, उसकी सर्जनात्मकता से नहीं, उसकी अस्मिता से नहीं।

विज्ञापनों में महिलाओं के दो रूप प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। एक, महिला का उत्तेजक और अश्लील रूप और दूसरा पूर्णतः पारंपरिक, सामंती मूल्यों को जारी रखने वाला, जिसमें घर और संस्कृति को बनाए रखने का भावपूर्ण रूप से दिखाई देता है। जितने भी घरेलू उत्पादों के विज्ञापन हैं उनमें महिलाओं का वही पारंपरिक सांस्कृतिक रूप दिखाया जाता है। ऐसे घरेलू उत्पादों के विज्ञापनों की पूरी विषय-वस्तु श्रम विभाजन को स्पष्ट समझाती है।

दूसरी तरफ़ यह भी समझना होगा कि पूंजीवाद ने अपने फ़ायदे के लिए स्त्री को, स्त्री स्वतंत्रता की एक झूठी चयनशीलता दी है। वास्तव में यह एक प्रकार का भयावह मतिभ्रम है, जहां महिला की वास्तविक मुक्ति नगण्य है, क्योंकि स्त्री-मुक्ति के रास्ते को भूमंडलीकरण ने बेहद भ्रामक मोड़ दे दिया है। *(स. : जनसत्ता)* ■■



समाधान



मक़बूल अहमद फ़लाही

सशक्त महिला का सही अर्थ

इतिहास में एक लंबे समय से नारी पर अत्याचार होता आ रहा है। हर क़ौम और हर क्षेत्र में नारी उत्पीड़ित थी। यूनान में, रूस में, मिस्र में, इराक़ में, भारत में, चीन में, अरब में, हर जगह उस पर ज़ुल्म व अत्याचार हो रहा था। बाज़ारों और मेलो में उसका क्रय-विक्रय होता था। जानवरों से बदतर उसके साथ सुलूक किया जाता था। यूनान में एक लंबे समय तक यह बहस जारी रही कि उसके अन्दर आत्मा है भी या नहीं। अरब वाले तो उसके अस्तित्व ही को अपमान समझते थे। कुछ कठोर हृदय लोग अपनी बेटियों को ज़िन्दा धरती में गाड़ देते थे। भारत में पति की चिता पर उसकी विधवा जलकर भस्म हो जाती थी। निवृत्तिवादी धर्म उसे अपराध का स्रोत, पाप का द्वार और पाप का प्रतिरूप समझते थे। उसके साथ सम्बन्ध रखने को आध्यात्मिक उत्थान के मार्ग में अवरोध समझा जाता था। दुनिया की अधिकांश सभ्यताओं में उसे समाज में कोई स्थान प्राप्त न था। वह उपेक्षणीय और अधम समझी जाती थी। उसे आर्थिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त न थे। वह स्वेच्छापूर्वक लेन-देन और कोई आर्थिक हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। वह शादी से पहले बाप के, फिर पति के और उसके बाद अपने पुत्र के अधीन थी। उनके प्रभुत्व को चुनौती देने की उसे अनुमति न थी। उनके द्वारा की गई नृशंसता और अत्याचार पर उसकी कहीं सुनवाई न थी। उसे फ़रयाद और आपत्ति करने का भी अधिकार प्राप्त न था।

इस्लाम ने औरत को ज़ुल्म व अत्याचार के खड्ड से निकाला। उसके साथ इन्साफ़ किया, उसे सारे मानवीय अधिकार दिए, इज़्ज़त व श्रेष्ठता प्रदान की और समाज को उसका सम्मान करना सिखया और औरत की मज़लूमी व महकूमी (दासता) के ख़िलाफ़ ऐसी आवाज़ बुलन्द की सारी दुनिया इससे गूंज उठी। आज उसी का प्रभाव हैं कि किसी में यह साहस नही कि उसकी पिछली (दासता की) हैसियत को सही





दुनिया की अधिकांश सभ्यताओं में उसे समाज में कोई स्थान प्राप्त न था। वह उपेक्षणीय और अधम समझी जाती थी। उसे आर्थिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त न थे। वह स्वेच्छापूर्वक लेन-देन और कोई आर्थिक हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। वह शादी से पहले बाप के, फिर पति के और उसके बाद अपने पुत्र के अधीन थी। उनके प्रभुत्व को चुनौती देने की उसे अनुमति न थी। उनके द्वारा की गई नृशंसता और अत्याचार पर उसकी कहीं सुनवाई न थी। उसे फ़रयाद और आपत्ति करने का भी अधिकार प्राप्त न था।

और यथार्थपरक कह सके। क़ुरआन ने पूरी शक्ति से कहा-

''ऐ लोगो! अपने रब से डरो, जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, और उससे उसका जोड़ा बनाया और उन दोनों से बहुत-से मर्द और औरतें फैला दी, और अल्लाह से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक-दूसरे से अपने हक़ मांगते हों, और रिश्तों का सम्मान करों। निस्संदेह अल्लाह तुम्हारी निगरानी कर रहा हैं।'' (क़ुरआन, 4:1)

यह इस बात की घोषणा थी कि एक इन्सान और दूसरे इन्सान के बीच जो झूठे भेदभाव दुनिया में पैदा कर दिए गए हैं वे सब सत्य के प्रतिकूल, निराधार और निर्मूल हैं। सम्पूर्ण मानव जाति एक ही जान से पैदा हुई है। सबकी बुनियाद एक हैं। पैदाइशी तौर पर न कोई श्रेष्ठ है, न हीन, न कोई ऊंची जाति का है और न कोई नीची जाति का। सभी बराबर और समान अधिकार रखते हैं। इस्लाम ने प्रत्येक दृष्टि से उसे बड़ा ऊंचा मक़ाम प्रदान किया है।

इस्लाम ख़ुदा और रसूल के बाद सबसे ऊंचा दर्जा मां को देता हैं। मां और बाप दोनों के साथ सद्व्यवहार करने और उनके आज्ञानुपालन का आदेश देता हैं। अतएव क़ुरआन में कहा गया हैं-

''और हमने मनुश्य को अपने मां-बाप का हक़ पहचाननें की ताक़ीद की है। उसकी मां ने सख़्ती पर सख़्ती झेलकर उसे अपने पेट में रखा और दो वर्ष में उसका दूध छूटा। हमने आदेश दिया कि मेरे कृतज्ञ बनो और अपने मां-बाप के भी कृतज्ञ बनो। अन्ततः मेरी ही ओर तुम्हे पलटना हैं।'' (क़ुरआन, 31:14)

इस्लाम में औरत का स्थाई अस्तित्व स्वीकार किया गया है। विवाह (निकाह) की वजह से न तो उसका व्यक्तित्व पति के व्यक्तित्व में गुम हो जाता है और न वह उसकी चेरी और दासी होती है। पत्नी के बारे में क़ुरआन कहता है-

''अल्लाह की (बहुत-सी) निशानियों में से एक यह भी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही नस्ल से जोड़े बनाए, ताकि तुम उनके पास आराम और शान्ति पा सको, और तुम्हारे बीच प्रेम और दयालुता पैदा कर दी। निस्संदेह इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सोच-विचार करते हैं।''

(क़ुरआन, 30:21)

एक दूसरे स्थान पर अल्लाह फ़रमाता है-

''मर्द औरतों के सरपरस्त (संरक्षक) और निगरां हैं, इस कारण कि अल्लाह ने एक को दूसरे पर श्रेष्ठता दी है और इस कारण भी कि मर्द अपने माल (धन) ख़र्च करते हैं। अतः जो नेक स्त्रियां होती हैं, वे आज्ञापालन करनेवाली और मर्दो के पीछे(अनुपस्थिति में) छिपे की अल्लाह के संरक्षण में रक्षा करनेवाली हैं।'' (क़ुरआन, 4:34)

कभी-कभी आदमी को एक चीज़ नापसन्द होती हैं, लेकिन उसमें भलाई के अनगिनत पहलू होते हैं। औरतों के सम्बन्ध में कुरआन कहता हैं-

''उनके साथ भले तरीक़े से जीवन-यापन करो। अगर तुम उनको नापसन्द करते हो तो सकता है कि एक चीज़ तुम्हे नापसन्द हो और अल्लाह ने उसमें बहुत-सी भलाई रख दी हो।''

(क़ुरआन, 4:19)

अज्ञानकाल (अर्थात इस्लाम से पूर्वकाल) में अरबवासी लड़कों को गर्व का साधन और श्रेष्ठ पूंजी समझते थे, लेकिन लड़कियां उनके लिए बोझ थीं। उनको वे लज्जा का कारण समझते थे और उनकी चर्चा ही से उनका सिर शर्म से झुक जाता था। बल्कि कुछ कठोर हृदय बाप अपने हाथों अपनी मासूम लड़कियों को ज़िन्दा जमीन में दफ़न कर देते थे।

क़ुरआन ने कहा-''अल्लाह ही के



लिए आसमान व ज़मीन की बादशाहत है।वह जो चाहता है पैदा करता है। जिसे चाहता हैं लड़कियां देता है और जिसे चाहता है, लड़के प्रदान करता हैं। या लड़के और लड़कियां दोनों देता है। और जिसे चाहता हैं बांझ बना देता है। निस्संदेह वह ज्ञानवान और सामर्थ्यवान हैं।'' (क़ुरआन, 42:49-50)

इस्लाम ने स्त्रियों के संवैधानिक अधिकार भी सुरक्षित किए हैं और नैतिक रूप से भी उसे उच्च सम्मान व प्रतिष्ठा प्रदान किया है।

अगर इस्लामी शिक्षाओं का जाएज़ा लिया जाए तो स्पष्ट रूप् से एक औरत के निम्नलिखित अधिकार बनते हैं-

1. एक औरत को समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्राप्त है। क़ुरआन कहता है-

''उस घड़ी को याद करो जबकि उस लड़की से पूछा जाएगा जिसे दफ़न किया गया था कि वह किस अपराध में मार डाली गई थी?'' (क़ुरआन, 81:9)

2. इस्लाम के निकट प्रत्येक बच्चा यह नैतिक और वैधानिक अधिकार लेकर जन्म लेता है कि उसके जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएं और लापरवाही से उसे मौत के मुंह में न जाने दिया जाए। पवित्र क़ुरआन का आदेश है-

''बच्चा जिसका है (यानी बाप का) उस पर दूध पिलानेवाली का खाना और कपड़ा देना सामान्य नियम के अनुसार अनिवार्य है।''

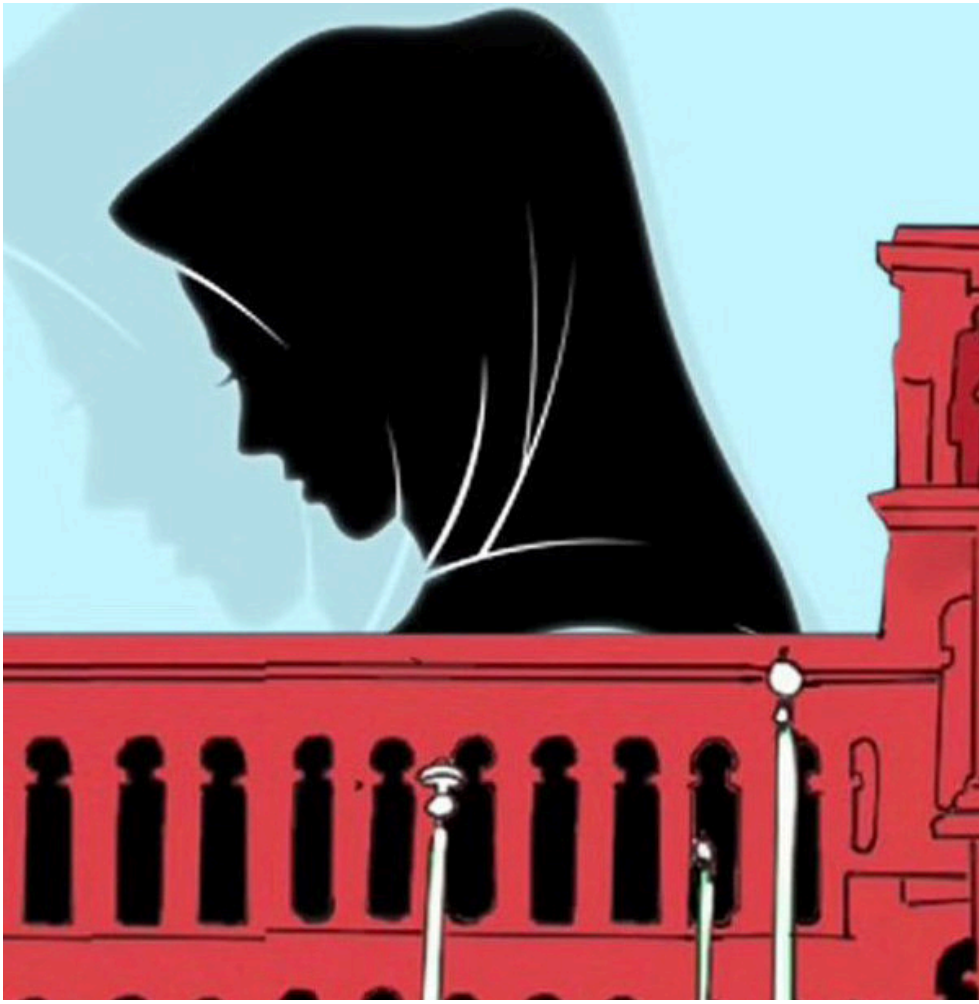
(क़ुरआन, 2:233)

3. इस्लाम ने शिक्षा का अधिकार मर्द और औरत दोनो के लिए न सिर्फ़ स्वीकार किया है, बल्कि लड़कियों की शिक्षा-दीक्षा पर विशेष ध्यान दिया और लड़कियों के लालन-पालन और उनके शिक्षण-प्रषिक्षण और प्रसन्नतापूर्वक विवाह आदि करनेवाले को जन्नत की शुभ-सूचना दी है।

4. इस्लाम ने निकाह के मामले में लड़की के वली और सरपरस्त (संरक्षक) को महत्व अवश्य दिया है, लेकिन इसके साथ यह भी कहा हैं कि निकाह उस लड़की की अनुमति से ही होगा। ■■

समसामयिक

डॉ. मुहम्मद
रज़ीउल इस्लाम
नदवी



हिजाब पर आपत्तियां : एक विश्लेषण

पर्दे पर बहुत-सी आपत्तियां की जाती हैं। इसका मखौल उड़ाया जाता है। इसे मुल्लाओं की ईजाद बताया जाता है। ये आपत्तियां इस्लामी सामाजिक व्यवस्था और उसमें औरत की हैसियत तथा उसके कार्यों के दायरे को न जानने का नतीजा हैं। इस्लामी हिजाब के बारे में क़ुरआन व हदीस के बयान उन आपत्तियों को रद्द करने के लिए काफ़ी हैं, जिन्हें परदे के विरोधी बहुत ज़ोरो-शोर से पेश करते हैं।

आज़ादी से वंचित

एक आपत्ति यह की जाती है कि औरत को हिजाब का पाबंद बनाने से उसकी आज़ादी छिन जाती है, जो हर इन्सान का बुनियादी हक़ है। इस्लाम ने औरत के लिए अनिवार्य किया है कि वह मर्दों के सामने एक ख़ास लिबास में आए। यह आदेश कुछ सामाजिक उपयुक्तता की बुनियाद पर दिया गया है, ताकि लोगों में नैतिक न आने पाए और समाज में बिगाड़ पैदा न हो। इसे आज़ादी या बुनियादी अधिकारों पर रुकावट नहीं क़रार दिया जा सकता। सभी सभ्य समाजों में रहन-सहन के ख़ास तरीक़ों की पाबंदी की जाती है। जैसे किसी को इस बात की छूट नहीं होती कि वह नंगा होकर घर से बाहर निकले, या स्लीपिंग सूट पहनकर काम पर जाए, मगर इस पाबंदी को व्यक्ति की आज़ादी या आधारभूत मानवीय अधिकारों के विरुद्ध क़रार नहीं दिया



जाता।

इस्लाम चाहता है कि औरत घर से बाहर निकले तो अपने लिबास, चाल-ढाल और बातचीत में वह तरीक़ा अपनाए जिससे किसी की भावनाएं न भड़कें। वह बनाव-श्रृंगार के ज़रिये लोगों की वासना भरी निगाहों को अपनी ओर आकर्षित न करे। इस तरह इस्लाम उसे शालीन लिबास का पाबंद बनाकर समाज के लोगों की निगाहों में सम्मानजनक स्थान देता है।

सक्रियताओं से अलग रहना

एक आपत्ति यह की जाती है कि परदा औरत को जीवन की कई सक्रियताओं में हिस्सा लेने से रोक देता है। वह घर से बाहर के काम नहीं कर सकती। इस तरह समाज अपनी आधी आबादी की स्वाभाविक योग्यताओं से फ़ायदा उठाने से वंचित हो जाता है।

सच्चाई यह है कि केवल इस्लाम ही औरत की स्वाभाविक योग्यताओं से सही तरीक़े से फ़ायदा उठाता है। कोई भी व्यवस्था उसी समय तरक़्क़ी कर सकती है जब उसमें कार्यों का बंटवारा मुनासिब ढंग से हो और जिसके ज़िम्मे जो काम लगाया जाए वह पूरी ईमानदारी और मेहनत से अंजाम दे। अगर हर आदमी हर काम को करने लगे तो व्यवस्था में बिगाड़ निश्चित है। कोई व्यवसाय उसी समय सही ढंग से चल सकता है जब उसे करने वालों में से कुछ लोग अच्छे से अच्छा उत्पाद तैयार करने में लगे हों और कुछ दूसरे लोग मार्केट में उसकी पब्लिसिटी और सेल के लिए प्रयास करें। अगर उस कंपनी का हर कर्मचारी हर काम अपने जिम्मे ले-ले तो वह एक दिन भी नहीं चल सकती।

इसी तरह समाज की व्यवस्था को चलाने के लिए अल्लाह ने मर्द और औरत के बीच कार्यों को बांट दिया है। औरत को घर के अंदर के कामों की ज़िम्मेदारी दी गई है और मर्द को घर के बाहर के कामों का ज़िम्मेदार बनाया गया है।

बच्चों की पैदाइश और परवरिश ऐसा काम है जिसे सिर्फ़ औरत ही अंजाम देती है। उसके साथ यह बड़ा अत्याचार होगा इस लम्बे और कठिन काम काम से तो उसे छुटकारा न मिले, लेकिन इसके साथ घर से बाहर के भी बहुत से काम उसके जिम्मे लगा दिए जाएं। इसीलिए इस्लाम ने औरत को आर्थिक संघर्ष की कठिनाइयों से आज़ाद रखा है और जीविका कमाने की ज़िम्मेदारी पूरी तरह मर्द पर डाली है।

इसका मतलब यह नहीं है कि इस्लाम औरत को घर से बाहर निकलने की अनुमति ही नहीं देता है और उसे सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेने से पूरी तरह रोकता है। ज़रूरत पड़ने पर औरतों के लिए घर से बाहर निकलने में कोई हर्ज नहीं है। एक हदीस में है कि अल्लाह के रसूल मुहम्मद (सल्ल०) ने फ़रमाया है-"अल्लाह ने तुम (औरतों) को इजाज़त दी है कि अपनी ज़रूरत के लिए घर से बाहर जा सकती हो।"

(बुख़ारी)

नबी (सल्ल०) के ज़माने में बहुत-सी सहाबिया घर से बाहर के कामों, जैसे खेती-बाड़ी, व्यापार-व्यवसाय आदि में अपने पति का हाथ बंटाती थीं और गज़वात (युद्धों) में शामिल होकर

जख़्मियों को पानी पिलाने और मरहम-पट्टी करने के कार्यों को अंजाम देती थीं।

इस्लाम औरत को हर तरह के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार देता है। वह उच्च शिक्षा हासिल कर सकती है, समय पड़ने पर धन कमा सकती है, अपनी पूंजी व्यापार में लगा सकती है, शिक्षा के विकास में हिस्सा ले सकती है, सामूहिक हित के लिए अपनी सेवाएं पेश कर सकती है, लेकिन इस्लाम औरत को शमा-ए महफ़िल नहीं बनाना चाहता। वह मर्द और औरत के स्वच्छंद मेल-जोल को सख़्त नापसंद करता है। इसलिए कि यह बात उसकी सामाजिक व्यवस्था से बिल्कुल मेल नहीं खाती।

झुकाव में बढ़ोत्तरी

हिजाब के सिलसिले में एक आपत्ति यह की जाती है कि मर्दों और औरतों के बीच मेल-जोल पर पाबंदी लगाने से औरतों की ओर मर्दों के आकर्षण में बृद्धि होती है। इसलिए कि किसी चीज़ से रोक देने से इन्सान की चाहत उसमें और बढ़ जाती है। अगर उन्हें खुली छूट दे दी जाए तो बहुत जल्द उनके मन भर जाएंगे और जज़्बात ठंडे पड़ जाएंगे।

बेपर्दगी के हामियों का यह तर्क भी अजीब है। अगर पूंजीपतियों की तिजोरियों में माल व दौलत के ढेर देखकर ग़रीब लोगों के दिलों में उसको हासिल करने की इच्छा पैदा हो तो क्या उन्हें यह सुझाव देना मुनासिब होगा कि हिफ़ाज़त के सभी साधन ख़त्म कर देना चाहिए और खुली छूट दे देनी चाहिए कि जो चाहे जितना माल उठा ले जाए। इसी तरह लोगों के दिलों से माल की चाहत ख़त्म की जा सकती है? क्या यह कहना मुनासिब होगा कि नैतिक अपराध पर पाबंदी से इन्सानों में अपराध करने की इच्छा उभरती है। अगर अपराध करने की पूरी आज़ादी दे दी जाए तो क्या सभी अपराधी सदाचारी बन जाएंगे? हक़ीक़त यह है कि इन्सानी सभ्यता के इतिहास के किसी दौर में इस तर्क को इस्तेमाल नहीं किया गया।

इन्सान की स्वाभाविक इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं, एक सीमित, जैसे खाने और सोने की इच्छाएं। जब ये पूरी हो जाती हैं तो उनसे इन्सान की चाहत ख़त्म हो जाती है। दूसरी इच्छाएं वे हैं जो असीमित होती हैं। जैसे धन की इच्छा या यौन आकर्षण, इनसे तबीयत कभी नहीं भरती। लैंगिक झुकाव के भी दो पहलू हैं एक शारीरिक, दूसरा मानसिक। शारीरिक संतुष्टि तो कई बार हो जाती है, लेकिन मन कभी नहीं भरता, बल्कि लगातार ''क्या और है?'' की मांग करता रहता है। मर्दों और औरतों के बेरोक-टोक मिलने-जुलने की सूरत में इच्छाओं में सुकून और ठहराव आने की बजाय उन्हें हवा मिलेगी और समाज में और ज़्यादा बेहयाई और आवारगी को बढ़ावा मिलेगा।

एक आपत्ति यह की जाती है कि परदा औरत को जीवन की कई सक्रियताओं में हिस्सा लेने से रोक देता है। वह घर से बाहर के काम नहीं कर सकती। इस तरह समाज अपनी आधी आबादी की स्वाभाविक योग्यताओं से फ़ायदा उठाने से वंचित हो जाता है।

यह बात भी पूरे तौर पर सही नहीं कि जिस चीज़ से इन्सान को रोका जाता है इसकी लालच उसके अंदर बढ़ जाती है। ऐसा उस समय होता है जब एक ओर उसे रोका भी जाए और दूसरी ओर उसको प्रेरित भी किया जाए, लेकिन अगर किसी चीज़ से रोकने के साथ उसका हानिकारक होना भी स्पष्ट किया जाए तो उसकी ओर झुकाव नहीं हो सकता। आग में हाथ डालने से मना किया जाता है। फिर किसी के दिल में उसकी इच्छा क्यों नहीं पैदा होती? इसलिए कि उसे बताया जाता है और उसे मालूम होता है कि ऐसा करने से हाथ जल जाएगा। यही हाल बेपर्दगी और बेरोक-टोक मेलजोल का है। अगर इनके सामाजिक नैतिक और धार्मिक नुक़सान बताए जाएं और उन पर पाबंदी के महत्त्व को स्पष्ट किया जाए तो लोगों का उनकी ओर झुकाव नहीं होगा।

बेपरदा समाज

आज पश्चिमी समाज में जो बुराइयां आम हो गई हैं, जैसे तलाक़ का बढ़ता हुआ रुझान, अपहरण और बलात्कार की रोज़ बढ़ती घटनाएं, अविवाहित माओं की बढ़ती संख्या आदि, इनके कारणों पर ग़ौर करें तो मालूम होता है कि उनका एक बुनियादी कारण बेपरदा समाज है। वहां औरतें पूरे बनाव श्रृंगार के साथ बेरोक-टोक, खुलेआम मर्दों के सामने आती हैं। इसलिए वे आसानी से बिगाड़ का शिकार हो जाती हैं।

अफ़सोस कि पश्चिमी सभ्यता की चमक-दमक ने हमारी निगाहों को भी चकाचौंध कर रखा है और हम अपने आपको विकसित साबित करने के लिए बिना सोचे-समझे उनकी नकल कर रहे हैं।

काश हमें मालूम हो कि अगर औरत के सम्मान की रक्षा हो सकती है, तो सिर्फ़ इस्लाम के साये में और अगर वे चैन और सुकून की ज़िन्दगी गुज़ार सकती हैं तो केवल इस्लामी शिक्षाओं पर चलकर।

■■



रोज़े और उसके उद्देश्य

प्रेरणा



सैयद अबुल आला मौदूदी

हर काम जो इन्सान करता है, उसमें दो चीज़ें ही हुआ करती हैं। एक चीज़ तो मक़सद है, जिसके लिए काम किया जाता है और दूसरी चीज़ उस काम की वह ख़ास शक्ल है जो इस मक़सद को हासिल करने के लिए अपनाई की जाती है। मिसाल के तौर पर खाना खाने के काम को लीजिए। खाने से आपका मक़सद ज़िन्दा रहना और जिस्म की ताक़त को बहाल रखना है। इस मक़सद को हासिल करने की सूरत यह है कि आप निवाले बनाते हैं, मुंह में ले जाते हैं, दांतो से चबाते हैं और हलक़ से नीचे उतारते हैं। चूंकि इस मक़सद को हासिल करने के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद और सबसे बेहतरीन तरीक़ा यही हो सकता था, इसलिए आपने इसी को अपनाया, लेकिन आप में से हर आदमी जानता है कि अस्ल चीज वह मक़सद है, जिसके लिए खाना खाया जाता है, न कि खाने के काम की यह शक्ल।

अगर कोई आदमी लकड़ी का बुरादा या राख या मिट्टी लेकर निवाले बनाए और मुंह में ले जाए और दांतो से चबाकर हलक़ से नीचे उतार ले, तो आप उसे क्या कहेंगे? यही न कि उसका दिमाग ख़राब है। क्यों? इसलिए कि वह खाने के अस्ल मक़सद को नहीं समझता और इस भ्रम में फंसा हुआ है कि बस

खाने के काम की इन चार ज़ाहिरी बातों को अदा कर देने ही का नाम खाना खाना है। इसी तरह आप उस आदमी को भी पागल ठहराएंगे जो रोटी खाने के बाद फ़ौरन ही हलक़ में उंगली डालकर उल्टी कर देता हो और फिर शिकायत करता हो कि रोटी खाने के जो फ़ायदे बयान किए जाते हैं, वे मुझे हासिल ही नहीं होते, बल्कि उल्टा मैं तो दिन प्रतिदिन दुबला होता जा रहा हूं और मर जाने की नौबत आ गई है।

यह मूर्ख अपनी इस कमज़ोरी का इल्ज़ाम रोटी और खाने पर रखता है। हालांकि बेवक़ूफ़ी उसकी अपनी है। उसने अपनी नादानी से यह समझ लिया कि खाने के काम में ये जो चन्द ज़ाहिरी बातें हैं, बस इन्हीं को अदा कर देने ही से ज़िन्दगी की ताक़त हासिल हो जाती है।

इसलिए उसने सोचा कि रोटी का बोझ अपने मेदे में क्यों रखे। क्यों न इसे निकाल फेंका जाए, ताकि पेट हल्का हो जाए। खाने के काम की ज़ाहिरी सूरत तो मैं अदा ही कर चुका हूं। यह बेवक़ूफ़ी का ख़याल जो उसने क़ायम किया और फिर उसकी पैरवी की, इसकी सज़ा भी तो आख़िर उसी को भुगतना चाहिए।

उसको जानना चाहिए था कि रोटी पेट में जाकर हज़म न हो और ख़ून बनकर सारे जिस्म में फैल न जाए, उस वक़्त तक ज़िन्दगी की ताक़त हासिल नहीं हो सकती। खाने के ज़ाहिरी काम भी यों तो ज़रूरी हैं, क्योंकि इनके बिना रोटी मेदे तक नहीं पहुंच सकती, मगर सिर्फ़ इन ज़ाहिरी कामों के अदा कर देने से काम नहीं चल सकता। इन कामों में कोई जादू भरा हुआ नहीं है कि इन्हें अदा करने से बस जादुई तरीक़े से पर आदमी की रगों में ख़ून दौड़ने लगता हो।

ख़ून पैदा करने के लिए तो ईश्वर (अल्लाह) ने जो क़ानून बनाया है, उसी के मुताबिक़ वह पैदा होगा। उसको तोड़ दोगे तो अपने आपको ख़ुद ही मौत के घाट उतारोगे।

आपकी सबसे बड़ी ग़लती यही है कि आपने रोज़ों के बाहरी रूपों को ही अस्ल इबादत समझ रखा है और इस गुमान में फंस गये हैं कि जिसने इन्हें पूरा कर लिया उसने इबादत पूरी कर ली। आपकी मिसाल उस आदमी की-सी है जो खाने के चारों चरण यानी निवाले बनाना, मुंह में रखना, चबाना, हलक़ से नीचे उतार देना, बस इन्हीं चारों को खाना समझता है और यह ख़याल करता है कि जिसने ये चार अरकान अदा कर दिये, उसने खाना खा लिया और खाने के फ़ायदे उसको हासिल होने चाहिए, भले ही उसने मिट्टी और पत्थर अपने पेट में उतारे हों, या रोटी खाकर फौरन उल्टी कर दी हो।

सवाल यह है कि कि जो रोज़ेदार सुबह से शाम तक अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता है, वह ठीक इस इबादत की हालत में झूठ कैसे बोतला है? ग़ीबत किस तरह करता है? बात-बात पर लड़ता क्यों है? उसकी ज़ुबान से गालियां क्यों निकलती हैं? वह लोगों का हक़ कैसे मार खाता है? हराम खाने और खिलाने का काम किस तरह कर लेता है और फिर यह सब काम करके भी यह कैसे समझता है कि मैंने ख़ुदा की इबादत की है? क्या उसकी मिसाल उस आदमी की-सी नहीं है, जो राख और मिट्टी खाता है और सिर्फ़ खाने के चार चरणों को पूरा कर देने को समझता है कि खाना इसी को कहते हैं।

हद यह है कि शहरों में तो ईद के दिन बदकारी और शराबनोशी तक होती है और कुछ ज़ालिम तो ऐसे है, जो रमज़ान के दिनों में दिन में रोज़ा रखते हैं और रात को शराब पीते हैं और व्यभिचार करते

सबसे बड़ी ग़लती यही है कि आपने रोज़ों के बाहरी रूपों को ही अस्ल इबादत समझ रखा है और इस गुमान में फंस गये हैं कि जिसने इन्हें पूरा कर लिया उसने इबादत पूरी कर ली। आपकी मिसाल उस आदमी की-सी है जो खाने के चारों चरण यानी निवाले बनाना, मुंह में रखना, चबाना, हलक़ से नीचे उतार देना, बस इन्हीं चारों को खाना समझता है और यह ख़याल करता है कि जिसने ये चार अरकान अदा कर दिये, उसने खाना खा लिया और खाने के फ़ायदे उसको हासिल होने चाहिए, भले ही उसने मिट्टी और पत्थर अपने पेट में उतारे हों, या रोटी खाकर फौरन उल्टी कर दी हो।



हैं। आम मुसलमान ख़ुदा के फ़ज़्ल से इतने बिगड़े हुए तो नहीं, मगर रमज़ान ख़त्म होने के बाद आप में से कितने ऐसे हैं जिनके अन्दर ईद के दूसरे दिन भी तक़वा (ईशपरायणता) और परहेज़गारी (संयम) का कोई असर बाक़ी रहता हो? नेक कामों में कितना हिस्सा लिया जाता है? सोचिए और ग़ौर कीजिए कि इसकी वजह आख़िर क्या है?

यक़ीनन यह कहा जा सकता है कि इसकी वजह सिर्फ़ यह है कि आपके दिमाग में इबादत (उपासना) का अर्थ ही ग़लत हो गया है। आप यह नहीं जानते कि यह भूखा-प्यासा रहना अस्ल इबादत नहीं, बल्कि इबादत की सूरत है और यह सूरत तय करने करने का मक़सद यह है कि आपके अन्दर ईश्वर का भय और उसकी मुहब्बत पैदा हो जाए।

यही वजह है कि क़ुरआन में रोज़े का आदेश देने के बाद कहा गया है-

''ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए रोज़े अनिवार्य कर दिए गए, जिस तरह तुमसे पहले नबियों के अनुयायियों पर अनिवार्य किए गए थे। इससे उम्मीद है कि तुममें परहेज़गारी का गुण पैदा होगा।'' (क़ुरआन, 2:183)

यह नहीं कहा गया है कि कि इससे ज़रूर परहेज़गार या संयमी बन जाओगे। इसलिए कि रोज़े के नतीजे का दारोमदार तो आदमी की समझ-बूझ और उसके इरादे पर है। जो इसके मक़सद को समझेगा और इसके ज़रिये से अस्ल मक़सद को हासिल करने की कोशिश करेगा वह इससे ज़रूर फ़ायदा हासिल कर सकेगा। ■■

यक़ीनन यह कहा जा सकता है कि इसकी वजह सिर्फ़ यह है कि आपके दिमाग में इबादत (उपासना) का अर्थ ही ग़लत हो गया है। आप यह नहीं जानते कि यह भूखा-प्यासा रहना अस्ल इबादत नहीं, बल्कि इबादत की सूरत है और यह सूरत तय करने करने का मक़सद यह है कि आपके अन्दर ईश्वर का भय और उसकी मुहब्बत पैदा हो जाए।

कविता

दुनिया में रौनक़ तुम से है

■ अल्ताफ़ हुसैन हाली

ऐ मांओ, बहनो, बेटियो !दुनिया की इज़्ज़त तुम से है।
मुल्कों की बस्ती हो तुम्हीं क़ौमों की इज़्ज़त तुम से है।।

तुम घर की हो शहज़ादियां, शहरों की हो आबादियां।
ग़मगीं दिलों की शादियां, दुख-सुख में राहत तुम से है।।

तुम हो तो ग़ुरबत है वतन, तुम बिन है वीराना चमन।
हो देस या परदेस जीने की हिलावत तुम से है।।

नेकी की तुम तस्वीर हो, इफ़्फ़त की तुम तदबीर हो।
हो दीन की तुम पासबां, ईमां सलामत तुम से है।।

फ़ितरत तुम्हारी है हया, तीनत में है मह्वो-वफ़ा।
घुट्टी में है सबरो-रज़ा, इन्सां इबारत तुम से है।।

मूनिस हो ख़ाविंदों की तुम, ग़मख़्वार फ़रज़ंदों की तुम।
तुम बिन है घर वीरान सब, घर भर में बरकत तुम से है।।

तुम आस हो बीमार की ढारस हो तुम बेकार की।
दौलत हो तुम नादार की, उसरत में इशरत तुम से है।।



(कठिन शब्द : ग़ुरबत-परदेस, हिलावत-मिठास, इफ़्फ़त-अस्मिता, तीनत-स्वभाव, उसरत-तंगी, इशरत-ख़ुशहाली, मूनिस-हमदर्द)



समाज सेवा

के साथ बनाएं भविष्य

करियर



संपादन प्रभाग

समाज सेवा सीधे तौर पर मानवता और जनाधिकारों से जुड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में इन्सानियत की सेवा करते हुए अच्छा भविष्य भी बनाया जा सकता है। हालांकि इस क्षेत्र में बहुत से लोग और समाज सेवी संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन इस क्षेत्र के लिए मेहनत, ईमानदारी, मानवता और संघर्ष की जो कसौटी है, उस पर कम ही लोग खरे उतर पाते हैं।

समाजशास्त्र विषय में रुचि रखने वाले और इस विषय से शिक्षा हासिल करने वाले युवाओं के लिए यह क्षेत्र उपयुक्त है। इसमें समाज सेवा के माध्यम से लोगों की सेवा करने और जीविका अर्जित करने के अनेक अवसर हैं। ऐसा देखा गया है कि समाजशास्त्र विषय से शिक्षा हासिल करने वाले अनेक युवा करियर के रूप में सबसे पहले समाज सेवा को ही चुनते हैं।

यह करियर के लिहाज से एक व्यापक क्षेत्र है और इसमें अनेक संभावनाएं हैं।इस क्षेत्र में आने के बाद थोड़ी-सी जानकारी और प्रशिक्षण हासिल करके कार्य के दौरान हुए अनुभव के आधार पर आगे बढ़ा जा सकता है।

समाज सेवा ऐसा क्षेत्र बन चुका है जहां सैकड़ों सामाजिक संगठन अथवा

एनजीओ काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र से जुड़ कर जहां लोगों की सहायता की जा सकती है, वहीं अच्छी कमाई भी की जा सकती है। वर्तमान समय में विभिन्न सामाजिक संगठनों अथवा एनजीओ में रोज़गार की बड़ी संभावाएं हैं। सैकड़ों ऐसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और इन संस्थाओं से लोगों को रोज़गार मिल रहे हैं।

आप महिला समस्या, बाल विकास, मानवाधिकार, स्वास्थ्य, समाज, कृषि, पर्यावरण, शिक्षा और संस्कृति आदि क्षेत्र को अपने कार्यक्षेत्र के रूप में चुन सकते हैं। एक आंकड़े के अनुसार देश में लगभग 14 हज़ार एनजीओ काम कर रहे हैं। इनमें 53 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में, 17 प्रतिशत ह्युमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, 10 प्रतिशत सोशल जस्टिस एंपावरमेंट, 6 प्रतिशत हेल्थ केयर एंड फैमिली सेक्टर में और अन्य यूथ और स्पोर्ट्स सेक्टर में कार्यरत हैं।

इस क्षेत्र में जाने के लिए समाजशास्त्र विषय में 12वीं पास या स्नातक होना ज़रूरी है। 12वीं की शिक्षा आर्ट साइड से उत्तीर्ण करने के बाद यदि चाहें तो समाजशास्त्र से स्नातक कर लें। इससे आगे की शिक्षा के लिए इसी विषय से स्नात्कोत्तर, एमफिल और पीएचडी भी कर सकते हैं। शिक्षा हासिल करने के बाद इस क्षेत्र में रोज़गार की संभावनाओं को तलाश किया जा सकता है। यूथ सर्विसेज, पब्लिक रिलेशन, मेडीसिन एंड लॉ, पॉलिटिक्स काउंसलिंग, एजूकेशन लेबर यूनियन, सिविल सर्विसेज, मीडिया आदि क्षेत्र में अपनी क़िस्मत आज़मा सकते हैं।

इसमें पर्सनल रिसर्च करने के अलावा किसी एनजीओ से जुड़ सकते हैं, इसके अलावा प्राइवेट अथवा सरकारी नौकरी के लिए भी प्रयास किए जा सकते हैं। सरकारी नौकरी की बात करें तो समाजशास्त्र सिविल सेवाओं के लिए सबसे उपयुक्त विषय माना जाता है। मास्टर की डिग्री लेने के बाद किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने अथवा एक शिक्षक के रूप में पढ़ाने का काम कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के तौर पर भी काम करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आज के समय में बहुत-सी बड़ी संस्थाओं में रिसर्च वर्क होता है और उनको रिसर्च सहायक की ज़रूरत होती है। समाजशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल कर चुके लोग आमतौर पर समाजशास्त्री एकेडमिक संस्थानों में शोधकर्ता के रूप में भी काम करते हैं। इंडस्ट्री में मानव संसाधन विशेषज्ञ के रूप में कार्य करके अच्छा पैसा कमाया जा सकता है।



समाजशास्त्र विषय की जानकारी का उपयोग लेखन एवं स्वतंत्र पत्रकारिता में किया जा सकता है। यह विषय युवाओं में घटनाओं और तथ्यों का विश्लेषण करने की क्षमता और योग्यता पैदा करता है, जिससे लेखन के ज़रिये अनेक सामाजिक मुद्दों की ओर लोगों का ध्यान खींचा जा सकता है। देश में हज़ारों की संख्या में विदेशी टूरिस्ट घूमने आते हैं। यात्रा स्थलों की सामाजिक और ऐतिहासिक जानकारी हासिल कर ट्रेवल गाइड के रूप में काम किया जा सकता है। करियर के लिहाज से यह एक बड़ा क्षेत्र है और भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में इसकी अपार संभावनाएं हैं।

आप अपनी रुचि के अनुसार अपने क्षेत्र का चुनाव कर सकते हैं। शुरू में फ्रेशर के रूप में अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। धीरे-धीरे अनुभव के आधार पर अच्छा पद, प्रतिष्ठा और पैसा हासिल किया जा सकता है। ■■



नज़रअंदाज़ न करें पथरी के लक्षणों को

सेहत



संपादन प्रभाग

पथरी, गुर्दे या शरीर के किसी हिस्से में स्टोन बन जाने की समस्या है। कई लोगों को पथरी की समस्या हो जाती है यहां तक की परेशानी बढ़ने पर कई बार मरीज़ को सर्जरी तक करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। पथरी की समस्या आज के जीवन में एक आम समस्या बन गयी है। किडनी स्टोन यानी की गुर्दे की पथरी का दर्द असहनीय होता है। इसके मरीज़ों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

पथरी का प्रमुख कारण

गुर्दे की पथरी का सबसे बड़ा कारण हमारा ग़लत खान-पान और कम पानी की आदत है। गुर्दे की पथरी दर्द के साथ कई सारी परेशानियों को भी न्योता देती है, लेकिन पथरी होने से पहले हमारा शरीर कई संकेत देने लगता है, जिन्हें लोग अक्सर नज़रअंदाज़ करके बैठ जाते हैं। जानकार बताते हैं कि किडनी में जिन लोगों को पथरी होती है उन्हें तो इसके लक्षण के बारे में तब पता चलता है, जब पथरी का आकार बढ़ने लगता है और पेशाब करने के दौरान मरीज़ को दिक़्क़त आने लगती है।

बचाव के उपाय

किडनी की पथरी में अगर आप अपने रोज़मर्रा के खाना-पान का ध्यान रखते हैं और परहेज़ करते हैं तो आपकी दिक़्क़तें काफ़ी हद तक दूर हो जाती हैं।

• पथरी में देर से पचने वाली गरिष्ठ चीज़ें सेवन न करें। आवश्यकता से अधिक मात्रा में भोजन कर शरीर का वज़न न बढ़ाएं।

• कोल्ड ड्रिंक्स, मांस, मछली के सेवन से परहेज़ करें। फलों में स्ट्रॉबेरी,

आड़ू, बेर, अंजीर, रसभरी तथा किशमिश, मुनक्का जैसे ड्राई फ्रूट के सेवन से परहेज करें। दूध और दूध से बने पदार्थ दही, पनीर, मक्खन, टॉफी, कैन सूप, नूडल, तला हुआ, फ्राई फूड, जंक फूड, चिप्स चॉकलेट, चाय का सेवन नहीं करना चाहिए।

• उच्च फास्फोरस वाले पदार्थों से भी पथरी के मामले में परहेज़ करना होगा। इनमें नट्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, रेस्टोरेंट फूड आदि आते हैं।

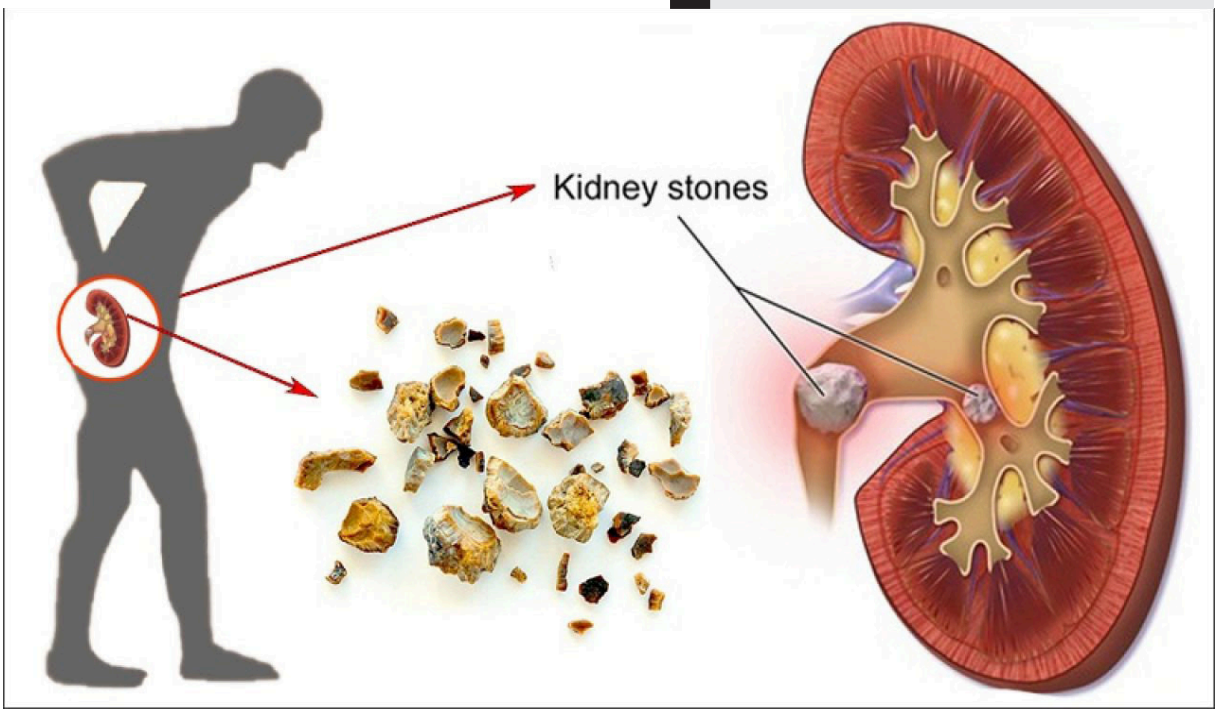
• पथरी के मरीज़ों को खाने में नमक इस्तेमाल भी कम करना पड़ता है, क्योंकि नमक में सोडियम होता है, जो पेट में जाकर कैल्शियम बन जाता है और ये भी पथरी को बढ़ा देता है।

• डॉक्टर पथरी के मरीज़ों को सबसे ज़्यादा सलाह देते हैं कि वह सुबह की शुरुआत चाय से न करें क्योंकि इसके नुक़सान बहुत हैं। एक प्याला चाय पथरी का साइज बढ़ा सकती है।

सर्जरी द्वारा इलाज

आजकल पथरी को तुरंत निकालने के लिए सर्जरी भी की जाती है। पथरी की सर्जरी की प्रक्रिया में पहले के मुक़ाबले काफ़ी बदलाव आ गया है। अब पथरी निकालने के लिए लेजर किडनी स्टोन रिमूवल नामक एक न्यूनतम हस्तक्षेप (मिनिमम इंवेसिस) प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, लेकिन यह नई लेजर तकनीक कुछ चुनिंदा अस्पतालों में ही उपलब्ध होती है। ■■

गुर्दे की पथरी का सबसे बड़ा कारण हमारा ग़लत खान-पान और कम पानी की आदत है। गुर्दे की पथरी दर्द के साथ कई सारी परेशानियों को भी न्योता देती है, लेकिन पथरी होने से पहले हमारा शरीर कई संकेत देने लगता है, जिन्हें लोग अक्सर नज़रअंदाज़ करके बैठ जाते हैं। जानकार बताते हैं कि किडनी में जिन लोगों को पथरी होती है उन्हें तो इसके लक्षण के बारे में तब पता चलता है, जब पथरी का आकार बढ़ने लगता है और पेशाब करने के दौरान मरीज़ को दिक़्क़त आने लगती है।





ख़ुदा की मदद

कहानी



यशपाल

उबैदुल्लाह 'मेव' और सैयद इम्तियाज़ अहमद हाईस्कूल में एक साथ पढ़ रहे थे। उबैद छुट्टी के दिनों में गांव जाकर अपने गुज़ारे के लिए अनाज और कुछ घी ले आता। रहने के लिए उसे इम्तियाज़ अहमद की हवेली में एक ख़ाली अस्तबल मिल गया था। इम्तियाज़ का बहुत-सा समय कनकैयाबाज़ी, बटेरबाज़ी, सिनेमा देखने और मुजरा सुनने में चला जाता और कुछ फुटबाल, क्रिकेट में।

वालिद साहब कुछ पढ़ने-लिखने के लिए परेशान ही कर देते तो वह पलंग पर लेट कर नाविल पढ़ता-पढ़ता सो जाता। जब इम्तियाज़ यह सब फ़न और हुनर पास कर रहा था, उबैद अस्तबल में अपनी खाट पर बैठ तिकोन का क्षेत्रफल निकालने, 'झ' को 'ज्ञ' से गुणा कर 'जै' से भाग देकर, उसे 'म' और 'ल' के जोड़ के बराबर प्रमाणित करने और इस देश को ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा दी गई बरकतें याद करने में लगा रहता। इम्तियाज़ को उबैद का बहुत सहारा था।

स्कूल में जब मास्टर लोग घर पर काम करने के लिए दिए गए काम के बारे में सख़्ती करने लगते, तो बह उबैद की कापियों की मदद ले मास्टरों की तसल्ली कर देता। उबैद यह सब देखता और सोचता था, 'मेहनत और सब्र का फल एक दिन मिलेगा। ख़ुदा सब कुछ देखता है।'

उबैद मैट्रिक के इम्तिहान में पास हो गया। इम्तियाज़ के वालिद सैयद मुर्तज़ा अहमद को काफ़ी दौड़-धूप करनी पड़ी। उनका काफ़ी रसूख़ था। इम्तियाज़ भी पास हो गया। उबैद का अपने गांव में गुज़ारा मुश्किल था। ज़मीन इतनी कम थी कि सभी लोग घर पर रहते तो निठल्ले बैठे रहते या खेत में मज़दूरी करते। जुताई पर ज़मीन मिलना भी आसान न था। घर

वाले कहते थे, 'इतना पढ़ाया-लिखाया है, तो क्या हल चलवाने के लिए? अगर ज़मीन से ही सिर मारना था, तो इल्म का फ़ायदा क्या?'

उबैदुल्लाह आगरे में कोशिश करता रहा। कभी भट्टे पर नौकरी मिल जाती, कभी किसी जूते के कारख़ाने में। तनख़ाह बीस बाइस रुपए और फिर नौकरी पक्की नहीं। इतने में इम्तियाज़ मुरादाबाद से सबइंस्पेक्टरी पास करके आ गया, और उसे अपने ही शहर में नौकरी मिल गई। इम्तियाज़ ने फिर उबैद की मदद की। उबैद कांस्टेबल हो गया।

यह ठीक है कि लाल पगड़ी और ख़ाकी वर्दी पहनकर उबैद आम लोग-बाग़ के सामने हुकूमत दिखा सकता था, लेकिन जान-पहचान के लोगों में, साथ पढ़ने वालों का 'सामना होने पर उसके मुंह में कड़वाहट-सी आ जाती, ख़ासतौर पर जब उसे इम्तियाज़ के सामने सलूट देनी पड़ी। उसे यह न भूलता कि स्कूल में इम्तियाज़ उसकी कापियों से नक़ल किया करता था। लेकिन अगर इन्सान के किए ही सब कुछ हो सकता तो ख़ुदा कि हस्ती को इन्सान कैसे पहचानता सैयद इम्तियाज़ रसूल के ख़ानदान से थे। ख़ैर, कभी तो मेहनत और ईमानदारी का 'नतीजा सामने आएगा। ख़ुदा सब कुछ देखता है। उबैद की ड्यूटी नाके पर लगती या रात की रौंद में पड़ती तौ चवन्नियों, अठन्नियों को शक में फ़ायदा उठा लेने का मौक़ा रहता। उसके साथ के सब लोग ऐसा करते ही थे। वर्ना अठारह रुपए की कांस्टेबली में क्या रखा था? पर उबैद नियत न बिगाड़ता। उसे ईमानदारी और मेहनत के अंजाम पर भरोसा था। जब वह एड़ी से पड़ी ठोक कर दारोग़ा साहब को सलूट देता था तो मन में एक आदर्श की पूजा करता था। यह आदर्श था-सिर की लाल पगड़ी पर लटकता सुनहरा झब्बा, पीतल का चमचमाता ताज, कंधे से कमर तक लगी हुई चमड़े की पेटी। तनख़्वाह चाहे अधिक न हो, पर वह सरकार का प्रतिनिधि होगा। इतिहास में उसने कई बादशाहों और ख़लीफ़ाओं का ज़िक्र पढ़ा था, जो ग़रीबी में गुज़ारा कर इन्साफ़ करते थे। वैसे ही यह भी करेगा। हिन्दुस्तानी अफ़सर अक्सर कमीनापन करते हैं। अंग्रेज़ के हाथ में इन्साफ़ है। इसीलिए ख़ुदा ने उसे इतना रुतबा दिया है'।

सैयद इम्तियाज़ अहमद सीआईडी डिपार्टमेंट में हो गए थे। उबैद पढ़ा-लिखा था। उन्होंने उसे भरोसे लायक़ आदमी समझ अपने नीचे ले लिया। उसे अदना सिपाही की वर्दी से मुक्ति मिली, साइकिल का और दूसरे भत्ते मिलने लगे। दही की ज़हमत के बजाय उसका काम हो गया ख़बर लेना-देना। सरकार के सामने उसकी बात का मूल्य था। उसने एक तथ्य समझा-दादर में जितना आतंक, अपराध और सनसनी हो, सरकार की दृष्टि में उसका मूल्य उतना ही अधिक है। सैयद साहब स्वयं जो चाहे करते ही, लेकिन उन्हें आदमियों की ज़रूरत थी, जो कम-से कम उन्हें तो धोखा न दे। ऐसे मामलों में अक्सर उबैद की ड्यूटी लगती। मेहनत का नतीजा भी उबैद को मिला। जल्दी ही उसकी वर्दी की आस्तीन पर पहले एक बत्ती, फिर दो लग गई।

इस महकमे में नौकरी करते उसे बरस ही पूरा हुआ था कि सन् 42 का अगस्त आ गया। जगह-जगह से रेलें और तार के खम्भे उखाड़ दिए जाने और आने जला दिए जाने के भयंकर समाचार आने लगे। उबैद को लोग-बाग की आंखों में सरकार के लिए और अपने लिए नफ़रत और सरकशी दिखाई देने लगी। उसे याद आया कि स्कूल में सन् 1857 के गदर का हाल पढ़ते समय ज़ाहिरा तारीफ़ अंग्रेज़ों की ही की जाती थी, लेकिन सभी के मन में मुल्क को आज़ाद करने के लिए विदेशियों से लड़ने वालों की ही इज़्ज़त थी। मालूम होता था कि फिर वही वक़्त 'आ रहा है। लेकिन अब वह' अंग्रेज़ सरकार का नौकर था। एक बार वह मन में सहमा। अगर रिआया और सरकार की इस पकड़ में सरकार चित्त हो जाए तो उसका क्या होगा उस वक़्त उसने रेडियो पर लाट हैलट साहब का फ़रमान सुना। लाट साहब ने कहा–इस वक़्त सरकार मुल्क के बाहर दुश्मनों से लड़ रही है। कुछ शरारती और सरकश लोग रिआया को सरकार के ख़िलाफ़ भड़का कर अमन में ख़लल और परेशानियां पैदा कर रहे हैं। हमारी सरकार को अपनी वफ़ादार रिआया, पुलिस और फ़ौज पर पूरा भरोसा है।

हमारी सरकार के जो अगले इस सरकशी और बदअमनी को ख़त्म करने में जी-जान से इमदाद करेंगे, सरकार उनकी ख़िदमतों का मुनासिब एतराफ़ करेगी। पुलिस और फ़ौज को सरकशी ख़त्म और अमन क़ायम करने का फ़र्ज़ पूरा करने में जो सख़्ती करनी पड़ेगी, उसके लिए सरकारी नौकरों, पुलिस या क़ौम के ख़िलाफ़ कोई शिकायत नहीं सुनी जाएगी, न उसकी कोई जांच-पड़ताल होगी।'

उबैद का सीना गज़ भर का हो गया। बाज़ारों में 'इन्क़लाब ज़िंदाबाद' और अंग्रेज़ी सरकार मुरदाबाद' की आसमान फाड़ देने वाली जनता की चिल्लाहटों और थानों, कचहरियों को जला देने की अफ़वाहों से थर्राते उबैद के दिल को सांत्वना मिली। उसने सोचा। इधर ज़िंदाबाद और मुरदाबाद की चिल्लाहट और लाखों सरकश है तो हमारे पास भी राइफ़लों से मुसल्लह गार दें, फ़ौज, तोपख़ाने और हवाई जहाज़ हैं। अगर एक बम आगरे पर गिरा दिया जाए

तो सरकश रिआया का दिमाग़ दुरुस्त हो जाए।'

थाने में अधिकतर मुसलमान सिपाही थे। कोतवाल साहब भी मुसलमान थे। उन्होंने रेडियो पर हुआ क़ायदे आज़म का एलान सब सिपाहियों को बताया कि हिन्दू कांग्रेस की इस बग़ावत का मक़सद अंग्रेज़ सरकार को डरा कर मुल्क में हिन्दू-कांग्रेस का राज क़ायम करना है। मुसलमानों को इस बग़ावत से कोई सरोकार नहीं मुसलमान हिन्दू कांग्रेस से डर कर, उनका राज हरगिज़ क़ायम न होने देंगे। कोतवाल साहब सिपाहियों को यूं भी समझाते रहते थे कि मुसलमान हाकिम क़ौम है। वे हमेशा मुल्क पर हुकूमत करते आए हैं। इसी आगरे के क़िले में मुसलमान हुकूमत करते थे। अंग्रेज़ हमेशा मुसलमान का एतिबार और इज़्ज़त करता है। ईसाई हमारे अहलेकिताब हैं। ख़ुदा पर अंग्रेज़ को ओहदा दिया है और हम लोगों को उसकी मदद करने का हुक्म है। यह कांग्रेस के बनिये बक्काल क्या हुकूमत करेंगे? इन्हें चरखा कातना है, तो लहंगा पहन लें और बैठकर सूत काते। मुसलमान शेर क़ौम है। हमेशा से गोश्त खाता आया है। अब घास कैसे खाने लगे?

उमेद भी सोचता, 'इन लोगों के राज में हम लोगों का गुज़ारा कैसे हो सकता है। हम लोग भला इनकी ग़ुलामी करेंगे? रिआया की सरकशी और बग़ावत की जीत का मतलब है कि पुलिस, फ़ौज और हुकूमत तबाह हो जाए। जैसे हम लोग कुछ है ही नहीं। यानी हम लोग दो रोटी के लिए सिर पर झाबा रखे तरकारी बेचते फिरें, या इनके लिए इक्के हांकें।' उसने मन ही मन सरकश रिआया को गाली दी और उनके प्रति नफ़रत से थूक दिया।



उस समय रिआया ने सरकार को जाने क्या समझ लिया था। पटवारियों, तहसीलदारों, जैलदारों, की सब ज़्यादतियों और जबरन जंगी चन्दा वसूल किए जाने का बदला लेने के लिए, देहातों में ख़ाली हाथ या ढेला, पत्थर और लाठी ले उठ खड़े हुए। ज्यों-ज्यों जनता का विरोध बढ़ता जा रहा था, सरकार सिपाहियों का लाड और ख़ुशामद अधिक कर रही थी।

यूपी के पूर्वी ज़िलों के देहात में विद्रोह अधिक था। पश्चिम के ज़िलों से वफ़ादार और समझदार पुलिस को स्थानीय पुलिस की सहायता के लिए भेजा गया। सैयद इम्तियाज़ अहमद की मातहती में उबैद भी बनारस ज़िले में गया। विशेष भरोसे का और समझदार होने के नाते उसे सदर की पोशाक में देहाती बनकर सरकशों का पता लगाने का काम सौंपा गया। दिन भर गांव-गांव फिर कर अगर वह सांझ को ख़बर देता कि सब अम्नोअमान है तो सैयद साहब उसे फटकार देते और रपट लिखते कि 'मोतबर ज़रिये से पता चला है कि पड़ोस का थाना फूंक देने वाले सरकश लोग गांव में छिपे हुए हैं।' रपट में कुछ सरकश बनियों के नाम ख़ासतौर पर रहते। साहब के यहां उबैद की कारगुज़ारी पहुंचने पर उसकी पीठ ठोकी जाती। गारद जाकर गांव को घेर लेती। एक-एक झोंपड़ी और मकान की तलाशी ली जाती। भगोड़ों का पता पूछने के लिए लोगों को मुश्कें बांध कर पीटा जाता, औरतों को नंगी कर देने की धमकी दी जाती। तबियत होती तो धमकी को पूरी कर दिखा देते।

इस मुहिम में पुलिस वालों के हाथ जो लग जाता, थोड़ा था। किसी के घर से घी की हांडी, गुड़ की भेलिया, किसी की अंटी से दो-चार रुपए, किसी औरत के गले या कलाई से चांदी के गहने उतर जाने का क्या पता चलता सिपाहियों ने ख़ूब खाया।

चांदी की गठरियां उनके थैलों में छिपी रहतीं। किसी घर में छबीली औरत या ज़वान लड़की की झांकी पा जाते तो घर की तलाशी ले लेते। मर्दों को शक में पकड़ कैम्प में भिजवा देते, औरतों से पूछते, 'बताओ भगोड़े बदमाश कहां छिपे हैं?' और उन्हें बांह से घसीट कर अरहर के खेतों में ले जाते। शान्ति

क़ायम करने के लिए पुलिस की इन हरकतों के ख़िलाफ़ यदि किसी देहाती के माथे पर बल दिखाई देते तो उसे पेड़ से बांध कर उसके सारे शरीर के बाल झाड़ दिए जाते।

पुलिस अनुभव कर रही थी कि वह वास्तव में राज कर रही है। बदमाशों की खोज-ख़बर लगाने का काम सरकार की दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण था। कटौना का थाना फूंकने वालों का पता लगाने के लिए उबैद को मोहर सिंह के साथ ड्यूटी पर लगाया। रघुनाथ पांडे छ: मास से फ़रार था। उबैद ने साधु का भेष बनाया और काशी जी में फिरता रहा। वह हाथ देखकर भाग्य बताता, रमल बताता और बात-बात में राज-पलट होने, नये राजा, तालुकदार बनने और ताम्बे का सोना बनाने की बातें करता। इसी तरह बातों-बातों में उसने रघुनाथ पांडे को खोज निकाला और गिरफ़्तार करवा दिया।

देश में शान्ति स्थापित हो गई। उबैद आगरा लौट आया और उसकी कारगुज़ारी के इनाम में उसे हेड कांस्टेबल का ओहदा मिला। आगरे में भी उसे सियासी फ़रारों की तलाश के काम पर लगाया गया। यहां उसने कुछ दिन इक्का हांक कर, फ़रार निर्मल चन्द को गिरफ़्तार करा दिया। उसे पूरा भरोसा था कि जल्दी ही सब-इन्सपेक्टरी मिल जाएगी। मुल्क में अमनो-अमान क़ायम हो गया था, पर जाने अंग्रेज़ों को क्या सूझा कि उन्होंने सरकार का काम कांग्रेस वालों को सौंप दिया। अफ़वाहें उड़ रही थीं कि सब जेल जाने वाले ही अफ़सर बनेंगे और अंग्रेज़ सरकार से बेदारी निभाने वालों से बदले लिए जाएंगे। कुछ दिनों में ही इतना परिवर्तन हो गया कि जो गांधी टोपी छिपती फिरती थी, अब अकड़ कर मोटर पर सवार थाने में पहुंचने लगी। लाल पगड़ी को उसके सामने झुककर सलाम करना पड़ता। अंग्रेज़ सरकार के समय जिन अफ़सरों का मान था वे अब घबरा रहे थे। पुरानी सरकार के प्रति वफ़ादारी नई सरकार की निगाह में ग़द्दारी थी। उबैदुल्लाह सोचता था– यह अल्लाह ने क्या किया?' पुलिस के बड़े मुसलमान अफ़सर, सैयद इम्तियाज़ अहमद और दूसरे साहबान, तुर्की टोपी की जगह किश्तीनुमा टोपियां पहनने लगे, और फिर गांधी टोपी। वे अपने से नीचे ओहदे के सहमे हुए लोगों को समझाते, 'अपना फ़र्ज़ हे हाकिमेवक़्त का वफ़ादार रहना। सियासियत से हमें क्या मतलब?'

उबैदुल्लाह मन ही मन सोचता कि बेइज़्ज़त होकर बर्ख़ास्त होने से बेहतर है कि बाइज़्ज़त रह ख़ुद इस्तीफ़ा दे दे। इस नई सरकार को उसकी ज़रूरत क्या? ख़ासकर सियासी ख़ुफ़िया पुलिस की उसे क्या ज़रूरत 'जब रिआया का अपना राज हो गया तो लोग ख़ुद ही क़ानून बनाएंगे और उन्हें मानेंगे। कौन बग़ावत करेगा, जिसे हम पकड़ेंगे? यह जनता की सरकार हमें क्यों पालेगी?'

सरकारी नौकरों और पुलिसों को अपनी मर्ज़ी से हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में बंट जाने का मौक़ा दिया गया। उबैद ने सोचा कि इस हिन्दू राज से पाकिस्तान ही चला जाए। बड़े-बड़े मुसलमान अफ़सर भी ऐसी ही बातें कर रहे थे। पुलिस में मुसलमान ही ज़्यादा थे। सब पुलिस अगर पाकिस्तान ही पहुंच जाए तो रिआया से ज़्यादा तो पुलिस ही हो जाएगी। वह घबरा रहा था। जिन लोगों की चौकसी कर वह डायरी लिखा करता था, वे लोग अब सरकारी परमिट लाकर बड़े-बड़े कारोबार कर रहे थे। जब तक बड़े लाट लोग अंग्रेज़ थे, कुछ धीरज था। उम्मीद थी कि शायद फिर दिन फिरें।

एक बार पहले भी कांग्रेस सरकार हुई थी, और चली गई। लीग वाले भी ज़ोर बांध रहे थे। लेकिन अगस्त 1947 में जब लाट भी कांग्रेसी बन गए, तो वह धीरज भी जाता रहा। वह देखता रहता था कि सैयद साहब अब इस या उस कांग्रेसी नेता के यहां मिलने आते-जाते रहते थे और प्राय: ज़िक्र करते रहते थे, कि उनके मरहम वालिद साहब मौलाना शौकत-अली और मुहम्मद अली के जिगरी दोस्त थे, और ख़िलाफ़त तथा कांग्रेस में काम करते रहे हैं। वे तो एक बार लखनऊ भी हो आए थे। उबैद सोचता, 'ये तो ख़ानदानी और बड़े आदमी हैं। पहले रसूख़ के ज़ोर पर ओहदे पर चढ़ गए अब भी इनका गुज़ारा हो जाएगा। अंग्रेज़ी सरकार के ज़माने में इन्होंने मुसाहबियत के सिवा किया क्या है? लेकिन हमने तो ईमानदारी और नमक हलाली निभाई है। 'ऊपर के दफ़्तरों में रिकार्ड' देखे जा रहे होंगे और बर्ख़ास्ती का हुक्म आया ही चाहता है।'

अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान का शासन कांग्रेस और लीग को ऐसे समय में सौंपा जब युद्ध के बोझ के कारण देश की आर्थिक अवस्था अस्त-व्यस्त हो चुकी थी। क़ीमतें चौगुनी चढ़ गई थीं। मुनाफ़े के लोभ में व्यापारियों ने बाज़ारों को समेट कर गोदामों में बन्द कर लिया था। सरकार राष्ट्र-निर्माण करना चाहती थी। जनता रोटी मांग रही थी। व्यावसायी लोग दाम नीचे न गिरने देने के लिए माल की तैयारी कम कर रहे थे। जो माल बनता, उसे सरकारी क़ीमत की मोहर लगवाये बिना चोर-बाज़ार में खींच लेते! मज़दूर अपनी मज़दूरी से पेट न भर पाने के कारण मज़दूरी बढ़ाने की मांग कर रहे थे। मज़दूरी न बढ़ने पर मज़दूर हड़ताल की धमकी दे रहे थे। सरकार हड़ताल को राष्ट्र के लिए घातक समझ रही थी। हड़ताल-विरोधी क़ानून बना दिए गए।

■■

क़ुरआन दर्शन



नईम अलहिन्दी



क़ुरआन के संदेशों को जानिए

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका जीवन चाहे-अनचाहे, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में दूसरे लोगों के जीवन से जुड़ा होता है। हम सभी एक ही धरती पर पैदा होने वाला अनाज खाते हैं, एक ही जल-स्रोत का पानी पीते हैं और एक ही वायुमंडल की हवा में सांस लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं अलग-अलग हैं। सच्चाई यह है कि जब से मानव इस संसार में आया है, तभी से उसे सही व सीधी राह दिखाने और उसका उचित मार्गदर्शन करने के लिए ईश्वर की ओर से ईशदूत (पैग़म्बर) भेजे जाते रहे हैं और साथ ही धार्मिक पवित्र धर्म-ग्रंथ भी अवतरित किए जाते रहे हैं। यह ईश्वरीय सनातन रीति रही है। इसी सनातन परंपरा का अन्तिम चरण ''इस्लाम'' है। यह कोई नया मज़हब नहीं है, इसकी शुरुआत धरती के पहले मानव हज़रत आदम (अलैहि०) से हुई और हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) पर पूर्ण हुई। इस बीच अनेक धार्मिक पुस्तकें अवतरित हुईं। उन सभी ग्रंथों का सार पवित्र क़ुरआन है, जोकि सभी धर्म-ग्रंथों में बताई गई शिक्षाओं व मार्गदर्शनों का नवीन संशोधित अंतिम संस्करण है।

क़ुरआन जिन शब्दों में अवतरित हुआ था, आज भी अक्षरशः मूल रूप से उन्हीं शब्दों में मौजूद है। क़ुरआन, एक ईश्वरीय वाणी है। इसको ईश्वर ने

“ऐ मुहम्मद (सल्ल.), यह एक किताब है जिसको हमने तुम्हारी ओर अवतरित किया है ताकि तुम लोगों को अंधेरों से निकाल कर प्रकाश में लाओ, उनके रब की मेहरबानी से, उस ईश्वर के मार्ग पर जो प्रभुत्वशाली और अपने-आप में प्रशंसनीय है।”

किसी विशेष जाति, संप्रदाय या वर्ग के लिए नहीं, बल्कि संसार के सारे मानवों के लिए मार्गदर्शक बनाकर अवतरित किया है। क़ुरआन जीवन की समस्त वास्तविकताओं और मनुष्य की मानवीय आवश्यकताओं के अनुरूप है। क़ुरआन की शिक्षाएं एवं संबोधन इस प्रकार हैं कि मनुष्य अपने जीवन के महान उद्देश्य को समझ सके। क़ुरआन में पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को संबोधित करते हुए कहा गया है–

‘‘ऐ मुहम्मद (सल्ल.), यह एक किताब है जिसको हमने तुम्हारी ओर अवतरित किया है ताकि तुम लोगों को अंधेरों से निकाल कर प्रकाश में लाओ, उनके रब की मेहरबानी से, उस ईश्वर के मार्ग पर जो प्रभुत्वशाली और अपने-आप में प्रशंसनीय है।’’ (क़ुरआन,14:1)

न्याय और समानता क़ुरआन के दिए हुए प्रमुख आदर्श हैं, साथ ही उसकी शिक्षाएं ऐसी हैं जो सारे संसार के लिए उपयुक्त हैं। क़ुरआन एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो विश्वव्यापी भाईचारे, सहनशीलता और समानता का बहुत ही स्पष्ट और ज़ोरदार अन्दाज़ में घोषणा करता है। जो लोग उसके संदेशों में विश्वास नहीं रखते उनके लिए क़ुरआन कहता है–

‘‘धर्म के मामले में कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है। सही बात ग़लत बात से अलग छांटकर रख दी गई है। अब जिस किसी ने फ़सादी का इन्कार करके अल्लाह को माना, उसने एक



ऐसा मज़बूत सहारा थाम लिया, जो कभी टूटने वाला नहीं, और अल्लाह (जिसका सहारा उसने लिया है) सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है।’’ (क़ुरआन, 2:256)

क़ुरआन में एक अन्य स्थान पर अल्लाह (ईश्वर) अपने पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के बारे में कहता है–

‘‘और (ऐ नबी), हमने तुमको सारे ही इन्सानों के लिए शुभ-सूचना देने वाला और सावधान करने वाला बनाकर भेजा है, मगर ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं।’’ (क़ुरआन, 34:28)

क़ुरआन के संदेशों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इसे पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हमें कैसे ज्ञात हो सकता है कि ईश्वर हम से क्या चाहता है? हमें अपना जीवन किस प्रकार गुज़ारना है? क़ुरआन में मानव जीवन की समस्याओं का हल मौजूद है। क़ुरआन ने रहन-सहन, खान-पान, सामाजिक बंधन, आर्थिक और राजनीतिक मामले, यहां तक कि शादी-ब्याह, वेषभूषा आदि के संबंध में भी उचित मार्गदर्शन किया है, जिनकी आवश्यकता क़ुरआन के अवतरणकाल में थी, बाद में भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। क़ुरआन एक सर्वकालिक प्रासंगिक ग्रंथ है। यह एक सफल जीवन गुज़ारने का जीता-जागता सक्रिय विधान है। ■■

लघुकथा

दिल के ख़रीदार

एक राजा ने घोषणा की थी कि जो कोई अच्छा शब्द बोलेगा उसे चार सौ दीनार (सोने के सिक्के) दिए जाएंगे।

एक दिन राजा अपनी प्रजा की देखभाल के लिए निकला उसने एक नब्बे साल की बुढ़िया को जैतून का वृक्ष लगाते हुए देखा।

राजा ने पूछा, तुम पांच या दस वर्ष में मर जाओगे, और ये वृक्ष बीस वर्ष के बाद फल देंगे, तो इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा ? बुढ़िया ने जवाब दिया कि जो फल हमने खाया, वह हमारे बड़ों ने लगाया था और अब हम इसे लगा रहे हैं ताकि हमारे बच्चे इसे खा सकें! राजा को बुढ़िया की बात अच्छी लगी और उसने आदेश दिया कि उसे चार सौ दीनार दे दिए जाएं।

बुढ़िया को दीनार दिए जाने पर वह मुस्कुराने लगी।

राजा ने पूछा, "तुम मुस्कुरा क्यों रही हो रही ?"

बूढ़ी औरत ने कहा कि जैतून के पेड़ों को बीस साल बाद फल देना था, लेकिन मुझे आज और अभी अपना फल मिल गया है !

राजा को उसकी बात अच्छी लगी और उसने आदेश दिया कि उसे



और चार सौ दीनार दे दिए जाएं । जब इस बूढ़ी औरत को और चार सौ दीनार दिए गए, तो वह फिर मुस्कुराने लगी !

राजा ने पूछा, "अब तुम क्यों मुस्कुरा रही हो?"

बूढ़ी औरत ने कहा कि जैतून का पेड़ पूरे साल में केवल एक बार फल देता है जबकि मेरे पेड़ ने दो बार फल दे दिए हैं।

तब राजा ने उसे और चार सौ दीनार देने का आदेश दिया और ये आदेश देकर वह बड़ी तेज़ी के साथ तुरंत वहां से रवाना हो गया !

उसके मंत्री ने पूछा "श्रीमान आप वहां से इतनी तेज़ी के साथ क्यों बाहर क्यों निकल आये ?"

राजा ने कहा, "यदि मैं इस स्त्री के साथ और रहता, तो मेरा सारा खजाना खाली हो जाता, परन्तु स्त्री की बुद्धिमानी भरी बातें समाप्त नहीं होती। अच्छी बातें मन को मोह लेती हैं, नम्र भाव शत्रु को मित्र बना देता है, बुद्धिमान वचन राजाओं को भी निकट ले आते हैं। अच्छी चीजें इस दुनिया में दोस्तों को बढ़ाती हैं और दुश्मनों को कम करती हैं और परलोक में इनाम बढ़ाती हैं दौलत से माल ख़रीदा जा सकता है, लेकिन दिल ख़रीदना अच्छे विचारों से ही संभव हो सकता है, इसलिए दिल के ख़रीदार बनो, दौलत के साधक मत बनो।

विविधा

कोविड में अनाथ हुए बच्चों को दाख़िला देगा केवी



केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) उन छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश प्रदान करेगा, जिन्होंने कोरोना के कारण अपने माता-पिता को खो दिया है। इस वर्ष कक्षा पहली से बारहवीं तक किसी भी कक्षा के लिए सभी केंद्रीय विद्यालयों में इस नियम का पालन किया जाएगा। इन छात्रों से ट्यूशन फ़ीस भी नहीं वसूली जाएगी। यह फ़ीस केंद्रीय विद्यालय स्वयं वहन करेंगे।

केंद्रीय विद्यालयों के लिए बनाए गए इस नियम के तहत प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय में ऐसे 10 छात्रों को दाख़िला देने का प्रावधान किया गया है। हालांकि इस विशेष श्रेणी में छात्रों को दाख़िला देने से पहले सत्यापन करना अनिवार्य है। कोविड-19 से उनके अभिभावकों की मृत्यु की पुष्टि करनी होगी और यह कार्य संबंधित ज़िला अधिकारी द्वारा किया जाएगा। जिलाधिकारी की संस्तुति के उपरांत संबंधित ज़िला में स्थित केंद्रीय विद्यालय ऐसे छात्रों को दाख़िला प्रदान करेगा।

तीन साल में एक भी मंज़ूरी नहीं

लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद गठित लोकपाल लोक सेवकों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करने वाला सर्वोच्च निकाय है। क़रीब तीन साल पहले गठित लोकपाल अब तक मुक़दमे की मंज़ूरी देने में नाकाम रहा है। आरटीआई के तहत भ्रष्टाचार के आरोपी लोक सेवकों के ख़िलाफ़ अभियोग के प्रस्ताव या मंज़ूरी देने के बारे में पूछे जाने पर लोकपाल ने कहा है कि उसने अभी तक ऐसी एक भी मंज़ूरी नहीं दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 23 मार्च 2019 लोकपाल के अध्यक्ष के तौर पर न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को पद की शपथ दिलाई थी। लोकपाल के आठ सदस्यों में चार न्यायिक और शेष चार गैर न्यायिक सदस्य हैं, जिन्हें न्यायमूर्ति घोष ने उसी साल 27 मार्च को शपथ दिलाई थी।



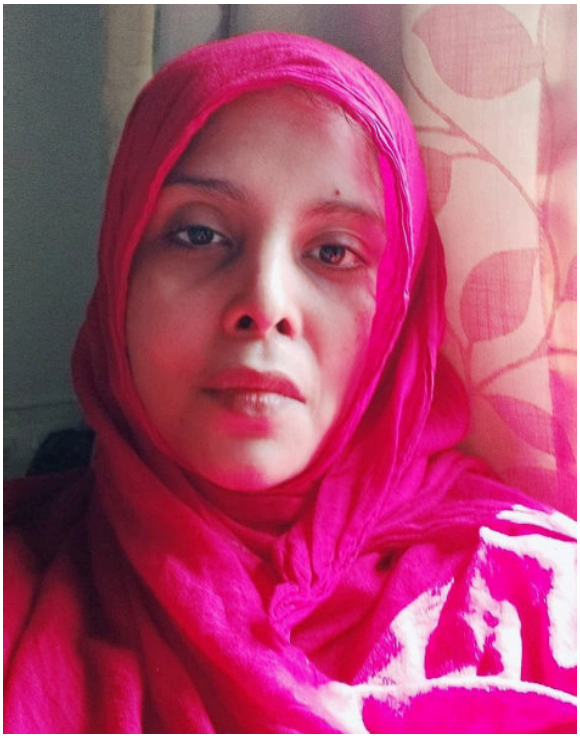
फिलहाल लोकपाल में दो न्यायिक सदस्यों के पद खाली हैं। लोकपाल ने कहा है कि उसे अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक 4,244 भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो 2020-2021 की तुलना में 80 फ़ीसद अधिक है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में उसे 1427 शिकायतें मिली थीं।

महिला की सहमति के बिना कोई नहीं बेच सकता घर



महिलाओं को बराबरी का दर्जा और घर में मालिकाना हक़ देने के लिए महाराष्ट्र की बाकापुर पंचायत ने अनोखी मिसाल पेश की। 2000 घरों वाले इस गांव में सभी दरवाज़ों पर महिलाओं का नाम मालिक या सह मालिक के नाम पर दर्ज है। वर्ष 2008 में ग्राम पंचायत में विशेष प्रावधान के ज़रिये इस अनोखी पहल की शुरुआत की गई। औरंगाबाद से 20 किमी दूर स्थित बाकापुर गांव में घरों के बाहर दर्ज महिलाओं के नाम उन्हें बराबरी का हक़ देने की कहनी कहते हैं। अपने कार्यकाल में महिलाओं को यह अनोखा अधिकार दिलाने वाली पूर्व सरपंच सुदमराव पालास्कर बताती हैं, पहले एक डर-सा रहता था कि परिवार से बिना पूछे पुरुष घरों को बेच सकते थे। ऐसा करने से न केवल महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा मिली, बल्कि महिलाओं को घर के मामलों में निर्णय लेने के अधिकार भी मिले। यही नहीं, अगर कोई बाकापुर में घर ख़रीदना भी चाहता है तो भी उसे पत्नी को सह मालिक के तौर पर रखना होगा।

पत्रकार राणा अय्यूब का उत्पीड़न बंद करे भारत-यूएन



संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था यूएनएचआर ने भारतीय पत्रकार राणा अय्यूब के ख़िलाफ़ दर्ज मुक़दमों को प्रताड़ना बताते हुए भारत सरकार से कहा है कि वह उन पर सोशल मीडिया पर हो रहे हमलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे।

पिछले दिनों अपने बयान में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त ने कहा कि विशेषज्ञों का कहना है कि खोजी पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता राणा अय्यूब दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों द्वारा लगातार ऑनलाइन हमलों और धमकियों का शिकार बन रही हैं। ये हमले भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यकों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाने और हाल ही में कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में हिजाब बैन पर उनकी टिप्पणियों के कारण हो रहे हैं।

बयान में विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया कि भारतीय अधिकारी अय्यूब को क़ानूनी ज़रियों से परेशान कर रहे हैं। छह महीनों में दूसरी बार उनके बैंक खाते और अन्य संपत्तियां सील कर दी गयी जो फ्रॉड और मनी लाउंड्रिंग के निराधार आरोपों के नाम पर किया गया। मालूम हरे कि प्रवर्तन निदेशालय ने राणा अय्यूब के बैंक खाते फ्रीज करने का आदेश दिया था। उन पर राहत कार्यों के लिए जमा किए गए धन के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। हालांकि भारतीय अधिकारियों ने उक्त आरोपों को खंडन किया है।

आख़िरी पन्ना



अमरपाल सिंह



नैतिक दोष

जिन्हें क़ुरआन दूर करना चाहता है

नैतिकता का प्रकटीकरण मानव-समाज में वाणी और व्यवहार के द्वारा होता है और दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध भी है। क्षणिक और तुच्छ स्वार्थ के वशीभूत मानव के अन्दर बहुत से दुर्गुण आ जाते हैं। इन्हें दूर करने का स्पष्ट आदेश क़ुरआन देता है और इस व्यावहारिक पक्ष को ईमान और विश्वास के सैद्धान्तिक पक्ष से जोड़कर उसकी आधारशिला को शक्ति प्रदान करता है।

पवित्र क़ुरआन की सूरा 2 की आयत 27 और सूरा 16 की आयत 91 और सूरा 17 की आयत 34 में बताया गया है कि समाज के किसी घटक को, अल्लाह को, इस दुनिया को, जो वचन तुम दो, उसे किसी भी दशा में भंग न करो। कोई वादा करके उसे किसी भी हालत में न तोड़ो। यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा नुक़सान साबित होगा। सूरा 13 की आयत 20 में कहा गया है कि जो प्रतिज्ञा करो उसे पूरा करो, हर हाल में। इक़रार को तोड़ो मत, अनुबन्ध की पूर्ति करो।

इस्लाम ने वचन-बद्धता और सत्य के साक्षी बनने पर विशेष बल दिया है। इस्लाम इसको सहन नहीं कर सकता कि व्यक्ति वचन भंग करे, धोखा दे और कथनी के विपरीत करनी करे। सूरा 2 की आयत 84, सूरा 25 की आयत 68, सूरा 4 की आयत 29, सूरा 6 की आयत 152 और सूरा 17 की आयत 33 में स्पष्ट आदेश है कि नाहक़ किसी का ख़ून न बहाओ। नाहक़ किसी की जान मत लो।

इस सन्दर्भ में प्रयुक्त 'नाहक़' शब्द विचारणीय है। किसका ख़ून बहाया जाना हक़ की बात होगी और किसका नाहक़ की बात, इसका निर्णय, हमारी समझ से, ख़ुदा पर छोड़ दो। इन्सान हक़ और नाहक़, नेक-बद, भला-बुरा, का निर्णय करने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी अक़्ल, बुद्धि, का समार्थ्य सीमित है, महदूद है। उसके सोचने-समझने का दायरा छोटा है। इसका निर्णयकर्ता एक मात्र अल्लाह है। अतः अल्लाह ने स्वयं इसका निर्णय करके मानव के भार को हल्का कर दिया है। अब इस सम्बन्ध में 'हक़' वही है जिसका निर्देश ईश्वर ने दिया है।

सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि जो तुम्हारा ख़ून बहाने को तत्पर है या किसी का ख़ून बहा देता है, उसका ख़ून तुम बहा सकते हो, यह हक़ की बात है। जो किसी का ख़ून बहा देता है,

क़त्ल कर देता है, उसको क़त्ल कर देना, मृत्यु-दण्ड देना हक़ बजानिब है, न्याय संगत है और तर्कसंगत भी। यह नैतिक नियम इस दुनिया के सभी प्राणियों पर समान रूप से लागू होता है। इसी की पुष्टि क़ुरआन भी करता है। हमारी समझ में क़त्ल या फांसी की वर्तमान न्यायिक सज़ा भी किसी भी गम्भीर जुर्म की एक मात्र हक़ बजानिब सज़ा नहीं है। इसके कई विकल्प भी हो सकते हैं। मृत्यु-दण्ड मात्र अन्तिम उपाय के रूप में ग्रहणीय है, हक़ है। जब सारे विकल्प असफल हो जाएं, तब ही मृत्यु-दण्ड, फांसी की सज़ा, अन्तिम उपाय के रूप में अपनाई जानी चाहिए।

अतः मृत्यु-दण्ड तभी दिया जाना चाहिए जब दण्ड के अन्य उपाय अपना प्रभाव दिखाने में असफल सिद्ध हो जाएं। तभी इसे उचित भी कहा जा सकता है, अन्यथा मनुष्य का यह गर्व मात्र होकर रह जाएगा जो अल्लाह के दरबार में दण्डनीय भी होगा।

इसी सन्दर्भ में सूरा 2 की आयत 178 तथा 179 और सूरा 5 की आयत 33 पर भी तनिक विचार करने की ज़रूरत है। आयत 178 में वर्णन है कि 'हे ईमान लाने वालो! मारे गए लोगों के बारे में, क़त्ल किए गए लोगों के सन्दर्भ में, ख़ून का बदला लेने में 'बराबरी' (क़िसास) तुम्हारे लिए उचित ठहरा दी गई। आज़ाद वक्ति का बदला आज़ाद व्यक्ति के बराबर, ग़ुलाम व्यक्ति का बदला ग़ुलाम के बराबर और स्त्री का बदला स्त्री के बराबर है।'

इतनी कठोर किन्तु न्यायपूर्ण व्यवस्था देकर अल्लाह को, क़ुरआन मजीद को, सन्तोष का अनुभव होता हो प्रतीत ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आगे इसी आयत में मृत्यु-दण्ड की यह व्यवस्था 'अत्यन्त नर्म' कर दी गई है और आदेश दिया गया है कि 'यदि किसी क़ातिल को मक़तूल (जिसे क़त्ल किया गया है) के पक्ष द्वारा (मक़तूल के भाई की ओर से) कुछ माफ़ी मिल जाए, कुछ क्षमादान मिल जाए, तो क़ातिल को सज़ा देने के लिए परम्परागत सामान्य नियमों का पालन करो और ख़ून की क़ीमत या अर्थदण्ड, ख़ूनबहा, की अदायगी को, जो उत्तम रीति है, अपनाओ। यह तुम्हारे रब की ओर से एक नर्मी और दयालुता है। इसके बाद भी, जिस किसी ने ज़्यादती की, उसके लिए (परलोक की) दुःखदायी यातना है।'

प्रथमतः बराबरी की व्यवस्था, 'जैसे को तैसा' की व्यवस्था, क़िसास की व्यवस्था, से अल्लाह को इसलिए सन्तोष होता प्रतीत नहीं होता, क्योंकि यह व्यवस्था उसके क्षमावना, दयावान, कृपाशील गुणों के प्रतिकूल है। वह मानव के व्यवहारों से, उसके त्रुटिपूर्ण स्वभाव से भी पूर्णतः अभिज्ञ है। वह भली भांति जानता है कि ग़लती करना मानव का सहज स्वभाव है और क्षमा करना अल्लाह की सिफ़त (गुण) है, ईश्वरीय गुण है। इसीलिए, परोक्ष रूप से, अल्लाह, क़ुरआन मजीद, मक़तूल पक्ष से क़ातिल को क्षमादान देने को आग्रह करता है, आदेश देता है वह अपनी 'नर्मी' और 'दयालुता' के गुणों की ओर मक़तूल पक्ष का ध्यान आकर्षित करता है। यदि मक़तूल पक्ष को इतने से सन्तोष न हो, जैसा कि मानवीय स्वभाव भी है, तो वह क़ातिल से ख़ून की क़ीमत, अर्थदण्ड, ख़ूनबहा, ले सकता है। इस रीति-नीति को अल्लाह ने एक 'उत्तम' रीति बताया है।

आयत 179 में वर्णन है कि 'तुम्हारे लिए (मानव के लिए) क़िसास (बराबरी-जैसे को तैसा) की व्यवस्था में हे बुद्धिमानों ! जीवन की रक्षा है, ताकि तुम बचते रहो अर्थात तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो सके।'

उपर्युक्त दोनों आयतों की व्यवस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य, मूल भावना, 'मानव की प्राण-रक्षा करना है।' इस सन्दर्भ में हम क़िसास की व्यवस्था पर थोड़ा विचार करें। इस व्यवस्था में एक ओर एक मक़तूल का प्राण तो चला ही जाता है और उसके परिणाम में दूसरी ओर एक क़ातिल का भी प्राण हरण कर लिया जाता है। इस प्रकार दो मनुष्यों के प्राण चले जाते हैं। इसे मानव जीवन की रक्षा कैसे कहा जाए?

इतना ही नहीं, एक समस्या यह भी है कि यदि एक ग़ुलाम व्यक्ति किसी आज़ाद व्यक्ति को क़त्ल कर दे, तो उस ग़ुलाम से किस तरह क़िसास की व्यवस्था में बदला लिया जाए? इसी तरह, यदि एक स्त्री ने किसी पुरुष को क़त्ल कर दिया, तो उस स्त्री से किस प्रकार से बराबरी के सिद्धान्त के अनुसार बदला लिया जाए? यह समस्या और अधिक गम्भीर हो जाती है यदि कल्पना की जाए कि उस क़ातिल स्त्री का कोई पुरुष नहीं है। यह समस्या तभी सुलझ सकती है जब किसी ऐसे क़ातिल के लिए मृत्यु-दण्ड, फांसी की सज़ा, न देकर कोई अन्य विकल्प अपनाया जाए, जैसे ख़ून की क़ीमत, अर्थदण्ड, ख़ूनबहा, देश निकाला आदि।

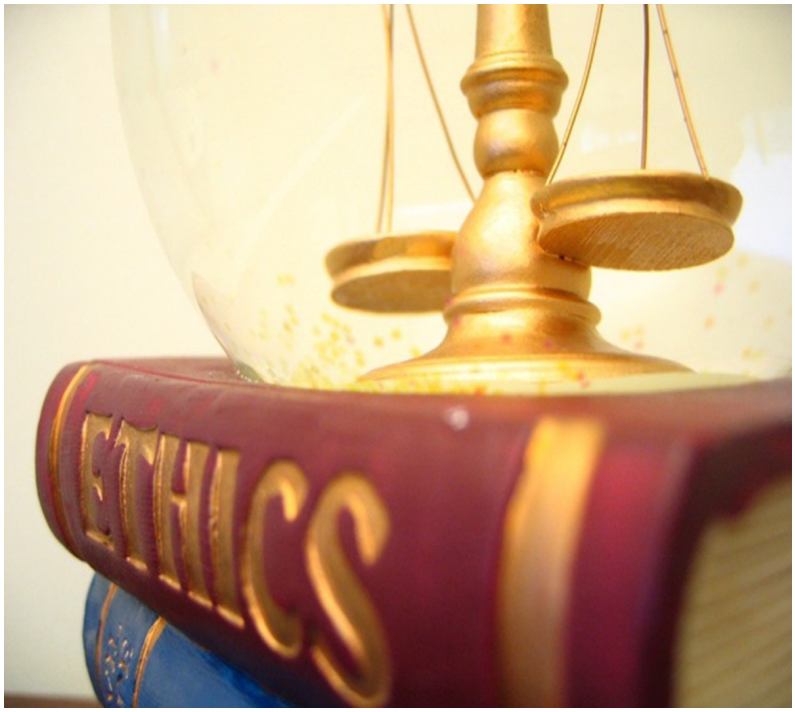
फिर भी, यह मानकर विचार करना ही उचित होगा कि अल्लाह की व्यवस्था में कोई 'हिकमत' (wisdom) अवश्य निहित होती है। एक क़ातिल के लिए मृत्य-दण्ड की व्यवस्था में भी उसकी एक हिकमत नज़र आती है-वह यह है कि क़ातिल (एक असामाजिक तत्व, एक अवांछनीय व्यक्ति) से समाज को, देश को, सदा-सदा के लिए

छुटकारा मिल जाता है, जिससे समाज के अन्य लोगों की जान की रक्षा हो जाती है। इतने पर भी, क़िसास, बराबरी, और मृत्यु-दण्ड का सम्बन्ध अनिर्णीत ही रह जाता है।

अल्लाह बेहतर जानता है कि आज का कोई क़ातिल भी कल का एक अच्छा आदमी, समाज-सेवक, बन सकने की सम्भावना अपने में निहित रखता है। वह आगे कभी भी दूसरों को क़त्ल करने से तौबा कर सकता है, कत्ल का प्रायश्चित भी कर सकता है। उसमें नेक आदमी बनने की सम्भावनाएं अभी भी शेष हो सकती हैं। एक बुरी ज़िन्दगी किसी भी चौराहे पर कभी भी एक सुन्दर, सुशील ज़िन्दगी की ओर मोड़ ले सकती है, इस की सम्भावना है। इसलिए उसकी जान की भी रक्षा होना अभीष्ट है। उससे भी समाज का कल्याण होना, ओग चलकर, सम्भव है। इसलिए क़ुरआन ख़ून की क़ीमत, अर्थदण्ड, ख़ूनबहा, आदि विकल्पों की व्यवस्था करता है। इससे क़ातिल के प्राण की रक्षा भी हो जाती है और मुजरिम को दण्ड देने का उद्देश्य-व्यक्ति का सुधार भी सम्भव हो सकता है।

ऐसे उदाहरणों से मानव-इतिहास भरा पड़ा है जब महा अपराधियों ने अपना आगामी जीवन सुधारा है और महापुरुषों की राह पर चलना स्वीकार किया है और अपनी कृतियों और कर्मों से समाज का अकथनीय कल्याण किया है। कोई व्यक्ति कब क्या हो जाएगा, इसे अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसीलिए उसने हर जान की रक्षा की व्यवस्था की है, वह चाहे जिस प्रकृति का हो। हरेक से उसे कुछ शुभ की आशाएं हैं।

अल्लाह आदम की संन्तानों से पूर्णतः निराश, हुआ प्रतीत नहीं होता। इसलिए उसने आदमी की जान की



रक्षा प्राण-रक्षा का बेड़ा उठा रखा है, क्योंकि वह हर जान की क़ीमत जानता है। इसलिए मानव के क़त्ल के सन्दर्भ में मृत्यु-दण्ड की अपेक्षा ख़ूंबहा, अर्थदण्ड, जान की क़ीमत लेने, को अल्लाह ने उत्तम रीति बताया है, किन्तु ऐसा करके उसने न्याय की मर्यादा को भंग नहीं होने दिया। यह क्षमादान की व्यवस्था मक़तूल पक्ष की स्वीकृति के अधीन है। वह यदि स्वीकार न करे तो 'जान के बदले जान' की न्यायिक प्रक्रिया से महानतम पदाधिकारी की सिफ़ारिश भी क़ातिल की जान नहीं बचा सकती।

इस भौतिक जगत में मानव की सबसे मूल्यवान संपत्ति उसका जीवन है। किसी भी संपत्ति से उसका बदला नहीं चुकाया जा सकता। इसलिए क़ातिल (हत्यारा) की जान लेकर उसे मृत्य-दण्ड देकर उसका बदला चुकाया जाता है। यदि ऐसे न किया जाए तो किसी के प्राण की रक्षा करना कठिन होगा। इस दण्ड के द्वारा हत्य की संभावना न्यूनतम कर दी जाती है। इसीलिए क़ुरआन ने 'क़िसास' (बराबर का बदला) में विचारवान के लिए 'जीवन' की स्थापना की है। ख़ूनबहा या ख़ून की क़ीमत लेकर क़ातिल को माफ़ करने में क़ातिल के लिए एक प्रकार का जीवनदान मिलता है जिससे भविष्य के जीवन में सुधार के मार्ग अपनाने और स्वयं को समाज के लिए हितकर साबित करने का एक अनोखा सुअवसर क़ातिल को मिल जाता है और मक़तूल (जिसे क़त्ल किया गया है) के वारिसों को ख़ूनबहा के रूप में एक बड़ी सहयोग राशि भी मिल जाती है। क़ातिल अगर प्रायश्चित करे और मक़तूल के वारिस को राज़ी कर ले तो इसमें सामाजिक दृष्टि से भी कई लाभ निहित हैं। यह क्षमादान मक़तूल के वारिसों के अधिकार में देकर क़ुरआन ने न्याय की धुरी को मज़बूत किया है। यदि ऐसा न होता तो न्याय की सीमा का उल्लंघन होता। इस सम्बन्ध में न्यायाधीश या सत्ताधारी को क़ुरआन अधिकार शून्य करके न्याय भंग करने के सारे दरवाज़े बन्द कर देता है।

■■

قادری دواخانہ کی کامیاب ترین یونانی دوائیں

LARGEST UNANI
G.M.P.
CERTIFIED COMPANY



گھٹیا کے درد میں؟

زعفرانی تیل®

کسی بھی قسم کے درد چوٹ موچ۔ گھٹیا۔ جلنے کٹنے اور بچوں کی مالش میں بہت ہی مفید ہے۔



گیسٹک کے درد میں

قادری قبض ٹروجن

بدہضمی، بھوک کی کمی، درد جگر، قبض، سینے کی جلن اور پیٹ کے امراض میں بہت ہی مفید ہے

پشٹک چورن



جریان، کثرت احتلام، سرعت انزال، ضعف باہ اور جملہ امراض مردانہ میں بہت مفید ہے

شوگر کی کامیاب دوا

ذیابطیش سی



مثانہ کو قوت پہنچاتی ہے۔ پیشاب کی زیادتی اور ذیابطیش سے ہونے والی کمزوری میں بے حد مفید ہے

Qadri Dawakhana™

An ISO 9001:2008 Certified Company

B-18, Nawab Wajid Ali Shah Road, Kol-24

(O) S-152, S. A. Farooquie Road. (Akra Road) Kolkata- 700 018

Ph. No. 2469-3173-2489-3539

www.qadridawakhana.com • E-mail : qadridawakhana80@yahoo.co.in

KANTI Monthly, New Delhi
APRIL 2022
Posted on 20-21 March 2022
Published on 18 March 2022
Posted Delhi RMS Delhi-110006

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2021-2023
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U(SE)-73/2021-2023
Total Pages with Cover: 52

